[2022] 4 एस. सी. आर 888

बालराम गार्ग

वी.

भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड

(2021 की सिविल अपील संख्या 7054)

अप्रैल 19,2022

[वाइन सरन और अनिरुद्ध बोस, जे. जे.]

एस. ई. बी. आई. (इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम विनियम), 2015

विनियमन 2 (1) (डी) और 2 (1) (एफ)-भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992-एस. एस. 11 (2) (छ), 11 (4), 12 ए (सी), 15 जी और 15 जेड-इनसाइडर ट्रेडिंग-अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी की प्राप्ति पर

(यूपीएसआई)-"जुड़े हुए व्यक्ति" और "तत्काल रिश्तेदार"

-

प्रत्यर्थी/एस. ई. बी. आई. ने आरोप लगाया कि पी. सी. गुप्ता और उनके भाई अपीलार्थी 'बी', जो क्रमशः अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक थे। पी. सी. जे., एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी, अन्य बातों के साथ-साथ जुड़े हुए व्यक्ति थे।

विनियम 2 (1) (डी) (आई) और सी. ए. No.7590/2021 के संदर्भ में, पी. सी. गुप्ता और अपीलार्थी 'बी' के साथ उनकी कथित निकटता के कारण उनके द्वारा प्राप्त यू. पी. एस. आई. के आधार पर कारोबार किया गया।

द्वारा अलगाव का दावा

करीबी पारिवारिक संबंध

2021 के सी. ए. No.7590 में अपीलकर्ता-एस. ई. बी. आई. के पूर्णकालिक सदस्य (डब्ल्यू. टी. एम.) और प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एस. ए. टी.) द्वारा भी खारिज-आयोजितः डब्ल्यू. टी. एम. और एस. ए. टी. ने उनके समक्ष प्रस्तुत तथ्यों और साक्ष्यों की सराहना किए बिना अलगाव के दावे को गलत तरीके से खारिज कर दिया-रिकॉर्ड और तथ्य पर्याप्त रूप से स्थापित करते हैं कि व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों स्तरों पर पक्षों के बीच संबंध टूट गए थे और यह कि उक्त अलगाव दो यू. पी. एस. आई. से बहुत पहले हुआ था-अपीलकर्ता न तो विनियम 2 (1) (डी) के तहत "जुड़े हुए व्यक्ति" हैं और न ही 2 (1) (एफ) के तहत "तत्काल रिश्तेदार" हैं-यह मानते हुए भी कि पारिवारिक व्यवस्थाओं के परिणामस्वरूप पक्षों के बीच सामाजिक संबंधों में पूरी तरह से विभाजन नहीं हुआ है।

एस. ए. टी., इसी तथ्य के आधार पर, यह साबित करने के लिए कि अपीलकर्ता इस मामले में थे, उन पर रखे गए सबूत की जिम्मेदारी से एस. ई. बी. आई. को मुक्त नहीं कर सका।

यू. पी. एस. आई. का कब्जा-एस. ई. बी. आई. यह साबित करने के लिए कोई सामग्री रिकॉर्ड पर रखने में विफल रहा कि सी. ए. No.7590/2021 में अपीलार्थी "जुड़े हुए" थे। विनियम 2 (1) (च) के साथ पठित विनियम 2 (1) (घ) (ii) (क) द्वारा आवश्यकतानुसार अपीलार्थी 'ख' के लिए ऐसे व्यक्ति जो सी. ए. में अपीलार्थियों में से किसी के रूप में नहीं हैं।

No.7590/2021 वित्तीय रूप से अपीलार्थी 'बी' पर निर्भर थे या यहाँ तक कि

888 बालराम गर्ग बनाम। सुरक्षा और विनिमय बोर्ड

भारत

प्रतिभूतियों में व्यापार से संबंधित किसी भी निर्णय में उनसे परामर्श करने का आरोप-2021 के सी. ए. No.7590 में अपीलकर्ता "तत्काल रिश्तेदार" नहीं थे और प्रतिभूतियों से संबंधित किसी भी निर्णय लेने की प्रक्रिया में या अन्यथा भी अपीलकर्ता 'बी' से उनका कोई लेना-देना नहीं था।

एस. ई. बी. आई. (इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम विनियम), 2015 -

विनियम 2 (1) (छ) और 3-भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992। 11 (2) (छ), 11 (4), 12 ए (सी), 15 जी और 15 जेड-इनसाइडर ट्रेडिंग

अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी (यूपीएसआई) की प्राप्ति पर

परिवेशीय साक्ष्य (व्यापार का स्वरूप और व्यापार का समय)

प्रासंगिकता-प्रत्यर्थी/एस. ई. बी. आई. ने आरोप लगाया कि पी. सी. गुप्ता और उनके भाई 'बी', जो क्रमशः एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पी. सी. जे. के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक थे, अन्य बातों के साथ-साथ विनियमन 2 (1) (जी) के तहत अंदरूनी सूत्र थे और सी. ए. No.7590/2021 में अपीलकर्ता, उनके द्वारा कथित रूप से प्राप्त यू. पी. एस. आई. के आधार पर कारोबार करते थे।

निकट पारिवारिक संबंधों को देखते हुए पी. सी. गुप्ता और 'बी' से निकटता-क्या 2021 के सी. ए. No.7590 में अपीलकर्ताओं को परिस्थितिजन्य साक्ष्य (व्यापार पैटर्न और व्यापार का समय) के आधार पर विनियमन 2 (1) (जी) (ii) के संदर्भ में "अंदरूनी" माना जा सकता है-आयोजित किया गयाः विनियमन

3 , जो यू. पी. एस. आई. के संचार से संबंधित है, कानून में एक काल्पनिक कल्पना पैदा नहीं करता है-इसलिए, यह केवल ठोस सामग्री (पत्र, ईमेल, गवाह आदि) के उत्पादन के माध्यम से है कि यू. पी. एस. आई. के संचार को साबित किया जा सकता है न कि संचार को होने के लिए माना जा सकता है।

वर्तमान मामले में, मूलभूत तथ्य साबित नहीं हुए थे जो कर सकते थे कथित अनुमान को बढ़ाना-2021 के सी. ए. No.7590 में अपीलार्थियों का व्यापार पैटर्न साबित करने के लिए परिस्थितिजन्य सबूत नहीं हो सकता है।

अपीलार्थी 'बी' द्वारा उन्हें यू. पी. एस. आई. का संचार-यू. पी. एस. आई. और 2021 के सी. ए. No.7590 में अपीलार्थी द्वारा की गई शेयरों की बिक्री के बीच कोई संबंध नहीं था-शेयरों को बेचने के निर्णय और उनका समय विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत और व्यक्तिगत थे। उनके द्वारा लिए गए वाणिज्यिक निर्णय और उन निर्णयों में इससे अधिक कुछ नहीं पढ़ा जा सकता है-पक्षों के बीच लगातार संचार दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर उपलब्ध किसी भी सामग्री के अभाव में, अपीलकर्ता 'बी'-एसएटी द्वारा यूपीएसआई के संचार का अनुमान नहीं लगाया जा सकता था, जिसने अपीलार्थियों को सी. ए. में रखा था।

सबूत)।

और स्वतंत्र रूप से अभिलेख पर साक्ष्य और सामग्री का आकलन करने के लिए बाध्य था, जो वह स्पष्ट रूप से करने में विफल रहा। डब्ल्यू. टी. एम. द्वारा बताए गए तथ्यों की केवल पुनरावृत्ति और दिमाग के गैर-अनुप्रयोग से पीड़ित-अपील-प्रथम अपीलीय न्यायालय-क्षेत्राधिकार।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः उत्तरदाताओं का पूरा मामला दो महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर आधारित था, कि सबसे पहले, एक निकट अस्तित्व था

अपीलार्थियों के बीच संबंध; और दूसरा, जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य (व्यापार पैटर्न और व्यापार के समय) के आधार पर हो,

यह यथोचित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि 2021 के C.A.No.7590 में अपीलकर्ता SEBI (इनसाइडर ट्रेडिंग विनियमों की रोकथाम), 2015 के विनियम 2 (1) (g) (ii) के संदर्भ में "अंदरूनी" थे। हालाँकि, डब्ल्यूटीएम और एसएटी ने इस दावे को गलत तरीके से खारिज कर दिया

विनियमों का विनियम 2 (1) (छ) (2) उनके व्यापार स्वरूप और उनके व्यापार के समय (परिस्थितिजन्य) के आधार पर सबूत)। 2021 के सी. ए. No.7590 में अपीलार्थियों द्वारा की गई शेयरों की बिक्री और यू. पी. एस. आई. के बीच कोई संबंध नहीं है। इसके अलावा, पक्षकारों के बीच लगातार संचार दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर उपलब्ध किसी भी सामग्री के अभाव में, अपीलार्थी 'बी' द्वारा यूपीएसआई के संचार का अनुमान नहीं लगाया जा सकता था। 2021 के सी. ए. No.7590 में अपीलार्थियों का व्यापार पैटर्न अपीलार्थी 'बी' द्वारा 2021 के सी. ए. No.7590 में अन्य अपीलार्थियों को यू. पी. एस. आई. के संचार को साबित करने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य नहीं हो सकता है। डब्ल्यू. टी. एम. और एस. ए. टी. के लिए इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं है कि स्वर्गीय पी. सी. गुप्ता और अपीलार्थी 'बी' दोनों ने 2021 के सी. ए. No.7590 में अन्य अपीलार्थियों को यू. पी. एस. आई. को सूचित किया था। 2021 के सी. ए. No.7590 में उक्त अपीलार्थी "तत्काल रिश्तेदार" नहीं थे और अपीलार्थी 'बी' से पूरी तरह से आर्थिक रूप से स्वतंत्र थे और उनके पास बालराम गार्ग v था।

सुरक्षा और विनिमय बोर्ड

भारत

प्रतिभूतियों से संबंधित किसी भी निर्णय लेने की प्रक्रिया में या अन्यथा भी उससे कोई लेना-देना नहीं है। प्रस्तुतिकरण उसी आवासीय पते के संबंध में प्रतिवादी

अपीलार्थी भी मान जाते हैं कि पक्षकार भूमि के एक बड़े हिस्से पर अलग-अलग इमारतों में रह रहे थे। अंत में, एसएटी आदेश दिमाग के गैर-अनुप्रयोग से ग्रस्त है और यह केवल डब्ल्यूटीएम द्वारा बताए गए तथ्यों की पुनरावृत्ति है। अपीलीय न्यायाधिकरण

प्रथम अपीलीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर रहा था और स्वतंत्र रूप से साक्ष्य और रिकॉर्ड पर सामग्री का आकलन करने के लिए बाध्य था, जो वह स्पष्ट रूप से करने में विफल रहा। [पैरा 48] [924-ए-एच]

एस. ई. बी. आई. बनाम किशोर आर. अजमेरा (2016) 6 एससीसी 368: [2016] 1 एससीआर 1118 और दुष्यंत एन. दलाल बनाम। एस. ई. बी. आई (2017) 9

एससीसी 660 [2017] 11 एससीआर 448-विशिष्ट।

एच. के. एन स्वामी बनाम इरशाद बसिथ (2005) 10 एस. सी. सी. 243; यू. पी. एस. आर. टी. सी. बनाम। ममता (2016) 4 एससीसी 172: [2016] 2 एस. सी. आर. 71; हनुमंत बनाम मध्य प्रदेश राज्य एयर

1952 उच्चतम न्यायालय 343: [1952] एससीआर 1091;

चिंतलपति श्रीनिवास राजू बनाम। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (2018) 7 एससीसी 443: [2018] 5 एस. सी. आर. 785; सीमा सिल्क एंड साड़ी बनाम। प्रवर्तन निदेशालय

(2008) 5 एस. सी. सी. 580 [2008] 8 एस. सी. आर. 201; तरलोचन देव शर्मा बनाम। पंजाब राज्य (2001) 6 एससीसी 260: [2001] 3 एस. सी. आर. 1146 और हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड बनाम निर्देशक

सामान्य (जांच और पंजीकरण) (2001) 2 एससीसी

474 [2001] 1 एस. सी. आर. 318-संदर्भित।

संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम। राज राजारत्नम और

डेनियल चिसी 09 करोड़ 1184 (आर. जे. एच.)-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2016] 1 एससीआर 1118

प्रतिष्ठित

पै

रा 20

(2005) 10 एससीसी 243

पै

रा 24

संदर्भित किया गया है

[2016] 2 एससीआर 71

संदर्भित किया गया है

पै

रा 25

[1952] एससीआर 1091

संदर्भित किया गया है

पै

रा 41

[2018] 5 एससीआर 785

संदर्भित किया गया है

[2008] 8 एससीआर 201

संदर्भित किया गया है

पै

रा 43

[2001] 3 एससीआर 1146

संदर्भित किया गया है

पै

रा 46

[2001] 1 एससीआर 318

संदर्भित किया गया है

पै

रा 46

[2017] 11 एससीआर 448

प्रतिष्ठित

पै

रा 47

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील No.7054

2021 .

प्रतिभूतियों के 21.10.2021 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2021 की अपील (ए. टी.) No.375 में मुंबई में अपीलीय न्यायाधिकरण।

के साथ

2021 की सिविल अपील No.7590।

ध्रुव मेहता, वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता। , मेहूल एम. गुप्ता, अभिषेक

मिश्रा, सुश्री अरुणिमा द्विवेदी, कृष्ण देव जगरलामुदी, सुश्री अंकिता गुप्ता, साई कौशल, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

अरविंद दातार, वरिष्ठ अधिवक्ता। , ध्रुवल मेहरोत्रा, सुधांशु सिक्का, मेसर्स

के. अशर एंड कंपनी, एड. उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

वाइन सारन, जे।

1. वर्तमान दीवानी अपील एक सामान्य निर्णय से उत्पन्न होती है।

और प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित दिनांक 21.10.2021 का आदेश (संक्षेप में "SAT"), जिसमें न्यायाधिकरण ने अपीलार्थियों द्वारा दायर 2021 की अपील No.375 और 376 को खारिज कर दिया और आदेश को बरकरार रखा

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पूर्णकालिक सदस्य (संक्षिप्त में "डब्ल्यू. टी. एम".) द्वारा पारित दिनांक 11.05.2021 (संक्षिप्त में "एस. ई. बी. आई".)

2. वर्तमान अपीलों के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक संक्षिप्त तथ्य हैं:

वह पी. चंद ज्वेलर प्रा. लि. लिमिटेड को 13 अप्रैल, 2005 को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत एक निजी सीमित कंपनी के रूप में शामिल किया गया था। हालांकि, 5 जुलाई, 2011 को शेयरधारकों द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अनुसार,

कंपनी को एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में परिवर्तित कर दिया गया, जिसके बाद कंपनी का नाम बदलकर "पीसी ज्वेलर लिमिटेड" (संक्षेप में "पीसीजे") कर दिया गया और निगमन का एक नया प्रमाण पत्र जारी किया गया।

3. वर्तमान विवाद की उत्पत्ति की जड़ें इस कार्रवाई में निहित हैं -

अपीलार्थियों के खिलाफ प्रतिवादी/एस. ई. बी. आई. ने दिनांक 17.12.2019 के एक ज़ब्त आदेश और दिनांक 24.04.2020 के कारण बताए जाने के नोटिस का उपयोग किया। एम जी. ए. आर. जी. वी. का सार।

भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड [वाइन सरन, जे.]ज़ब्त करने के आदेश और कारण दस्सो नोटिस इस प्रकार हैं

पदम चंद गुप्ता (पी. सी. गुप्ता) इसके अध्यक्ष थे। संबंधित अवधि के दौरान पी. सी. जे. और एक "कनेक्टेड" था

विनियमन 2 (1) (डी) (आई) के संदर्भ में व्यक्ति "और एस. ई. बी. आई. (इनसाइडर ट्रेडिंग विनियमों की रोकथाम), 2015 (संक्षेप में" पी. आई. टी. विनियम ") के विनियम 2 (1) (जी) के तहत एक" अंदरूनी "। बलराम गर्ग, जो पी. सी. गुप्ता के भाई हैं और

पी. सी. जे. के प्रबंध निदेशक भी एक "जुड़े हुए व्यक्ति" हैं।

विनियमन 2 (1) (डी) (आई) की शर्तें और इसके तहत एक "अंदरूनी"

पी. आई. टी. विनियमों का विनियम 2 (1) (जी)। कथित तौर पर, सी. ए. No.7590/2021 में अपीलकर्ता, अर्थात्, सचिन गुप्ता, श्रीमती. शिवानी गुप्ता और अमित गर्ग के बीच सौदा हुआ।

अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी का आधार (के लिए)

लघु "यूपीएसआई") उनके द्वारा कथित रूप से प्राप्त किया गया

पी. सी. गुप्ता और बलराम गर्ग के बीच निकटता

01.04.2018 से 31.07.2018 तक की अवधि।

उपरोक्त निकटता का आरोप इस तथ्य के आधार पर लगाया गया था

कि सचिन गुप्ता और श्रीमती। शिवानी गुप्ता पुत्र हैं और

बलराम गर्ग के दिवंगत भाई की बहू

पी सी गुप्ता। इसके अलावा, अमित गर्ग अमर गर्ग के बेटे हैं।

जो बलराम गर्ग के भाई भी थे। यह भी था

आरोप लगाया कि सभी अपीलार्थी एक ही आवास में रहते थे।

सी. ए. No.7054/2021 में अपीलार्थी इराम गर्ग ने अपना आवेदन दायर किया।

1 07.08.2020) उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों के लिए, जिसमें

ई निम्नलिखित हैः

कि बुनियादी तथ्य साबित करने या उठाने के लिए नहीं थे

कथित अनुमान। एस. ई. बी. आई. रिकॉर्ड में रखने में विफल रहा

यह साबित करने के लिए कोई सामग्री कि सी. ए. No.7590/में अपीलार्थी 2021 श्री बलराम गर्ग के साथ "जुड़े हुए व्यक्ति" थे

पी. आई. टी. विनियमों के विनियम 2 (1) (डी) (ii) (ए) के साथ पठित विनियम 2 (1) (एफ) द्वारा आवश्यक है, क्योंकि अपीलार्थियों में से कोई भी नहीं

सी. ए. No.7590/2021 वित्तीय रूप से बलराम पर निर्भर थे

गर्ग या संबंधित किसी भी निर्णय में बलराम गर्ग से परामर्श करें प्रतिभूतियों में व्यापार। अनुमान साक्ष्य का एक नियम है

जिसे तब तक नहीं खींचा जा सकता जब तक कि ऐसा आधार न हो।

तथ्य सिद्ध हो जाते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कि कोई भी सामग्री प्रथम दृष्टया रिकॉर्ड पर नहीं लाई गई थी

ii.

सी. ए. में अपीलार्थियों को सूचना का कोई भी हस्तांतरण दिखाएँ।

2021 का No.7590

कि केवल एक परिवार/रिश्तेदार होना अपने आप में एक नहीं हो सकता है

iii.

अंदरूनी व्यापार के अपराध के लिए आधार, विशेष रूप से जब एक पारिवारिक समझौते को आगे बढ़ाने के लिए, 2011 में परिवार का विभाजन किया गया था और कोई संबंध नहीं था तब से उनके बीच

इसके अलावा सचिन गुप्ता ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया।

iv.

(गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग) कंपनी में उनके द्वारा आयोजित

31.03.2015 परिवार विभाजन के अनुसार। तब से न तो सचिन गुप्ता और न ही उनकी पत्नी श्रीमती शिवानी गुप्ता का पीसीजे के व्यवसाय से कोई लेना-देना था।

दिनांक 11.05.2021, अपीलार्थियों पर प्रतिभूति बाजार तक पहुँचने से रोकने के साथ-साथ Rs.20 लाख का जुर्माना लगाना। और आदेश की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के लिए किसी भी तरह से प्रतिभूतियों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खरीद, बिक्री या सौदा करना और

अपीलार्थियों को 2 साल की अवधि के लिए पी. सी. जे. के लेख से निपटने से रोक दिया।

6. एस. ई. बी. आई. के डब्ल्यू. टी. एम. के आदेश से व्यथित होकर, अपीलकर्ताओं ने एस. ए. टी. के समक्ष अपील दायर की। न्यायाधिकरण ने अपने सामान्य निर्णय और दिनांक 21.10.2021 के आदेश के माध्यम से अपीलार्थियों द्वारा की गई अपीलों को खारिज कर दिया और कहा किः

" दोनों पक्षों को सुनने पर, हमारे विचार में, एल. डी. का तर्क। डब्ल्यू. टी. एम. को दोष नहीं दिया जा सकता है। एल. डी. द्वारा उजागर किए गए तथ्य। डब्ल्यूटीएम दिखाएगा कि हालांकि दो अवसरों पर परिवार के भीतर एक पारिवारिक व्यवस्था थी, लेकिन वहाँ था कोई विसंगति नहीं है, जैसा कि एल. डी. द्वारा उजागर किए गए तथ्यों से देखा जा सकता है। डब्ल्यू. टी. एम. (ऊपर)। इसके अलावा, हमारे विचार में, बहुत

तथ्य यह है कि अपीलार्थी शिवानी ने अपने चचेरे भाई को अधिकृत किया था

कानून में यानी अपीलकर्ता अमित अपनी ओर से व्यापार करने के लिए, अपीलकर्ताओं के मामले में विश्वास करेगा कि पारिवारिक निपटान का अर्थ है पारिवारिक अलगाव। यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलार्थी एक ही पते पर रह रहे हैं और यहां तक कि अपीलार्थी श्री बलराम गर्ग का पता भी परिसर के सामने की ओर है। कारोबार

संबंधित अपीलार्थी का प्रतिरूप अर्थात बालराम गार्ग को रोकना V.

भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड [वाइन सरन, जे.]

कंपनी के भीतर एक बार वापस खरीद वार्ता शुरू होने के बाद व्यापार की बिक्री और भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रस्ताव की अस्वीकृति के बारे में जनता को सूचित किए जाने तक एक बार पुनर्खरीद प्रस्ताव सार्वजनिक किए जाने के बाद उनके द्वारा शेयरों को फिर से बेचने से स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि संबंधित अपीलार्थी इसके बारे में जानते थे

यह सच है कि इस बात का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है कि अपीलार्थियों को इस अंदरूनी जानकारी का प्रसार किसने किया था। अपील नं. 376 2021 से। स्वर्गीय श्री पदम चंद गुप्ता अपीलार्थी श्री सचिन गुप्ता के पिता और अपीलार्थी सुश्री शिवानी गुप्ता के ससुर और अपीलार्थी श्री अमित गर्ग के चाचा थे। इसी तरह, अपीलार्थी श्री बलराम गर्ग अपीलार्थी श्री सचिन गुप्ता और अपीलार्थी श्री अमित गर्ग के चाचा हैं। वे सभी एक ही पते पर रह रहे थे। अपीलार्थी श्री सचिन गुप्ता ने कंपनी के साथ वित्तीय लेनदेन किया था।

जिनमें से अपीलार्थी श्री बलराम गर्ग प्रबंध निदेशक थे। उपरोक्त सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, संभावना की प्रधानता पर, यह बहुत अच्छी तरह से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि स्वर्गीय पदम

चंद के साथ-साथ अपीलार्थी श्री बलराम ने दोनों का प्रसार किया

अपील सं. में अपीलार्थियों को यूपीएसआई। 376 2021 से। ”

7. एस. ए. टी. दिनांक 21.10.2021 के उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर, अपीलकर्ताओं ने वर्तमान अपील (बलराम गर्ग द्वारा सी. ए. No.7054/2021 और श्रीमती शिवानी गुप्ता, सचिन गुप्ता, अमित गर्ग और क्रिक डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सी. ए. No.7590/2021) दायर की। लिमिटेड) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 15Z के तहत। चूंकि, नोटिस जारी होने के बाद जनवरी 2019 में पी. सी. गुप्ता की मृत्यु हो गई थी, इसलिए उनके खिलाफ मामला हटा दिया गया था।

8. श्री ध्रुव मेहता, अपीलार्थी बलराम गर्ग के विद्वान वरिष्ठ वकील (2021 के सी. ए. No.7054 में) ने प्रस्तुत किया है कि डब्ल्यू. टी. एम. ने माना है कि अपीलार्थी नं. 1 2021 के सी. ए. No.7590 में 3, अर्थात्, श्रीमती शिवानी गुप्ता, सचिन गुप्ता और अमित गर्ग (जिन्हें नोटिस नं. 1 कारण दर्शाओ नोटिस में 3 तक) अपीलार्थी बलराम गर्ग के लिए "जुड़े हुए व्यक्ति" या "तत्काल रिश्तेदार" नहीं थे और डब्ल्यूटीएम का यह निष्कर्ष अंतिम हो गया है। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि अपीलकर्ता श्री बलराम गर्ग ने केवल पी. आई. टी. विनियम, 2015 के विनियम 3 का उल्लंघन किया है और पी. आई. टी. विनियमों के विनियम 4 (2) के विपरीत, इसके तहत कोई भी अनुमान लगाने का कोई प्रावधान नहीं है।

उक्त विनियम 3.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

9. यह भी संतोषजनक था कि पी. आई. टी. विनियमों के विनियम 3 के उल्लंघन को साबित करने के लिए, सबूत का भार एस. ई. बी. आई. पर था कि वह किसी भी

" यू. पी. एस. आई. का संचार "रिकॉर्ड में ठोस साक्ष्य रखते हुए। कॉल विवरण, ईमेल, गवाह आदि। यह प्रस्तुत किया गया था कि इस मामले में प्रतिवादी रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत रखने में विफल रहा है। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया था कि "तत्काल रिश्तेदार" के खिलाफ धारणा नियमों में यह सुनिश्चित करने के लिए प्रदान की गई है कि जो रिश्तेदार आर्थिक रूप से या अन्यथा किसी जुड़े व्यक्ति के पूर्ण नियंत्रण में हैं, उनका उपयोग अंदरूनी व्यापार के लिए नहीं किया जाता है। हालाँकि, इस मामले में, अपीलार्थी श्री बलराम गर्ग और 2021 के सी. ए. No.7590 में अन्य अपीलार्थियों, अर्थात् श्रीमती शिवानी गुप्ता, सचिन गुप्ता और अमित गर्ग के संबंध में ऐसी कोई संभावना मौजूद नहीं थी।

10. विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे संतोष व्यक्त किया कि अपीलार्थी सचिन गुप्ता के बीच लेनदेन पर प्रतिवादी की निर्भरता और कंपनी (पी. सी. जे.) प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है क्योंकि ये आरोप कारण बताओ नोटिस का हिस्सा नहीं थे। यह भी प्रस्तुत किया गया था कि अपीलार्थी बलराम गर्ग के नाम का उपयोग देर से आई. डी. 1 के साथ अंतर-परिवर्तनशील रूप से किया गया है और डब्ल्यू. टी. एम. और एस. ए. टी. के लिए इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं है कि देर से आई. डी. 1 और अपीलार्थी बलराम गर्ग दोनों ने 2021 के सी. ए. आई. डी. 2 में अपीलार्थियों को यू. पी. एस. आई. के बारे में सूचित किया था।

11. श्री वी. गिरि, 2021 के सी. ए. No.7590 में अपीलार्थियों के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील, अर्थात् श्रीमती शिवानी गुप्ता, सचिन गुप्ता, अमित गर्ग और क्विक डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड ने तर्क दिया है कि इन अपीलार्थियों के खिलाफ अंदरूनी व्यापार का पूरा मामला केवल पक्षों के बीच घनिष्ठ संबंधों के आधार पर स्थापित किया गया है। हालाँकि, उन्होंने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ताओं ने यह प्रदर्शित करने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री रखी है कि व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों स्तरों पर पक्षों के बीच संबंध पूरी तरह से टूट गए थे और उक्त अलगाव यूपीएसआई के अस्तित्व में आने से बहुत पहले था।

12. विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे संतोष व्यक्त किया है कि यह मानते हुए भी कि अपीलकर्ता पक्षों के बीच संबंधों के पूर्ण टूटने का प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं हैं, एस. ए. टी. के लिए इस तथ्य की आसानी से अनदेखी करके अपीलकर्ताओं पर सबूत के बोझ को उलटकर क़ानून को अपने सिर पर मोड़ना खुला नहीं था कि वास्तव में यह साबित करने की जिम्मेदारी एस. ई. बी. आई. पर थी कि अपीलकर्ताओं के कब्जे में थे या यू. पी. एस. आई. तक उनकी पहुंच थी।

13. यह भी तर्क दिया गया कि अपीलार्थियों के खिलाफ आरोप

2021 के सी. ए. No.7590 में केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर कायम रखा गया है। अपीलार्थियों द्वारा लेन-देन के प्रतिमान और लेन-देन का समय। इसके अलावा, यह आयोजित करने के लिए डब्ल्यूटीएम और एसएटी के लिए खुला नहीं था

इक्विटी शेयरों की खरीद-वापसी के लिए आपत्ति प्रमाण पत्र (संक्षिप्त "एनओसी" के लिए)। इसलिए, 13 जुलाई, 2018 को बोर्ड ने बाय-बैक प्रस्ताव को वापस लेने की मंजूरी दी और बाजार के घंटों के बाद इसे एक्सचेंजों को सूचित किया गया। यह प्रस्तुत किया गया था कि इस जानकारी को अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी-2 (संक्षेप में "यूपीएसआई-2") माना गया है क्योंकि इससे कंपनी के शेयरों की कीमत पर भौतिक रूप से प्रभाव पड़ने की संभावना है। इसके अलावा, प्रस्तावित खरीद-वापसी से संबंधित जानकारी कंपनी के इक्विटी शेयर 7 जुलाई, 2018 को अस्तित्व में आए और 13 जुलाई, 2018 को सार्वजनिक हुए। तदनुसार, 7 जुलाई, 2018 से 13 जुलाई, 2018 तक की अवधि को यूपीएसआई-2 की अवधि के रूप में लिया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

16. यह तर्क दिया गया है कि अपीलार्थी बलराम गर्ग ने पी. आई. टी. विनियमों के विनियम 3 (1) और एस. ई. बी. आई. अधिनियम, 1992 की धारा 12ए (सी) का उल्लंघन करते हुए, पी. आई. टी. विनियमों के अर्थ के भीतर एक "अंदरूनी" और "जुड़े हुए व्यक्ति" के रूप में 2021 के सी. ए. No.7590 में अपीलार्थियों को यू. पी. एस. आई. के बारे में सूचित किया, और इक्विटी शेयरों की खरीद-वापसी और निकासी से संबंधित चर्चाओं और संचारों के लिए गोपनीय रहे। इसके अतिरिक्त, पी. सी. जे. के प्रबंध निदेशक (एम. डी.) होने के कारण, बलराम गर्ग के पास यू. पी. एस. आई.-1 और यू. पी. एस. आई.-2 थी।

17. श्री दातार ने तर्क दिया है कि 02.04.2018 से 31.07.2018 की अवधि के दौरान, C. A. No.7590 में अपीलार्थियों द्वारा व्यापार निष्पादित किए गए थे।

2021 जबकि यूपीएसआई के कब्जे में और उन्होंने गैरकानूनी लाभ कमाया और नुकसान से बचा। श्रीमती शिवानी गुप्ता के व्यापारिक खाते से 02.04.2018 से व्यापार निष्पादित किए गए और 24.04.2018 तक जारी रहे। मई और जून 2018 में कोई व्यापार नहीं किया गया था और फिर 6 जुलाई, 2018 से 13 जुलाई, 2018 तक यानी यूपीएसआई-2 के दौरान बिक्री व्यापार किया गया था। अपीलार्थी श्रीमती शिवानी गुप्ता का पी. सी. जे. के लेख में ध्यान केंद्रित था और इन कार्यों को श्रीमती शिवानी गुप्ता, सचिन गुप्ता और अमित गर्ग, यानी अपीलार्थी संख्या 1,2 और 3 द्वारा 2021 के सी. ए. <आई. डी. 1 में निष्पादित किया गया था।

18. विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे संतोष व्यक्त किया कि अपीलार्थी संख्या 4 (2021 के सी. ए. No.7590 में) अर्थात क्विक डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड ने लिया

13.07.2018 पर संक्षिप्त स्थिति अर्थात निकासी से संबंधित जानकारी एक्सचेंज को सूचित किए जाने से ठीक पहले। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस तरह के छोटे पदों को मूल्य में गिरावट की प्रत्याशा में लिया गया था। अपीलार्थी अमित गर्ग और उनकी पत्नी क्विक डेवलपर्स प्राइवेट के 100% शेयरधारक हैं। लिमिटेड, इसलिए वे, क्विक डेवलपर्स प्राइवेट के खाते से निष्पादित ट्रेडों के माध्यम से। लिमिटेड ने नुकसान से बचा और लाभ भी कमाया।

19. पारिवारिक समझौते के संदर्भ में, विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया है कि इस तरह का समझौता, सबसे अच्छा, एक आंतरिक विभाजन था

और इसका मतलब यह नहीं है कि परिवार के सदस्यों के बीच सभी संबंध टूट गए थे या अपीलार्थी बलराम गर्ग का अपीलार्थियों के साथ संबंध सी. ए. में। 2021 का No.7590 अलग हो गया था। यह आगे तर्क दिया गया कि अपीलकर्ताओं का एक-दूसरे के साथ संबंध समाप्त नहीं हुआ, जो निम्नलिखित तथ्यों से स्थापित होता हैः

आई.

सचिन गुप्ता के साथ उनका व्यापारिक लेन-देन जारी रहा।

पीसीजे। पी. सी. जे. ने सचिन गुप्ता को वित्तीय वर्ष के लिए 4 लाख रुपये, वित्तीय वर्ष के लिए 5 लाख रुपये और वित्तीय वर्ष के लिए 3 लाख रुपये का किराया भी दिया।

बालराम गर्ग बनाम। भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड [वाइन सरन, जे.]

सचिन गुप्ता के डीमैट खाते के नामित थे

ii.

स्वर्गीय पी. सी. गुप्ता और उनकी मृत्यु के बाद, कंपनी में पी. सी. गुप्ता की हिस्सेदारी सचिन गुप्ता के पास थी। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि पिता और पुत्र का रिश्ता था विक्षिप्त हो जाते हैं।

अपीलार्थी बलराम गर्ग और अपीलार्थी संख्या 1,2 और 3

iii.

2021 के सी. ए. No.7590 में श्रीमती शिवानी गुप्ता, सचिन गुप्ता और अमित गर्ग एक ही आवासीय पता साझा करते हैं।

20. उत्सव पाठक बनाम में रिलायंस को एस. ए. टी. आदेश पर रखा गया था। एस. ई. बी. आई. (2019 की अपील संख्या 430 में दिनांकित 12.07.2020 आदेश) जिसमें

एस. ए. टी. ने एस. ई. बी. आई. बनाम किशोर आर. अजमेरा [(2016) 6 एस. सी. सी. 368] और संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम राज में अमेरिकी जिला न्यायालय के आदेश में इस अदालत के फैसले पर भरोसा करते हुए निम्नलिखित अनुपात निर्धारित किया था।

राजारत्नम और डेनियल चिसी [09 करोड़ 1184 (आर. जे. एच.)]:

" उपरोक्त मूलभूत तथ्यों से, परिस्थितिजन्य

सबूत या एक तार्किक द्वारा संभावना की प्रधानता पर

उपस्थित तथ्यों की समग्रता से तर्क की प्रक्रिया

और परिस्थितियाँ जैसा कि ऊपर कहा गया है, एक अप्रतिरोध्य अनुमान

यह इंगित किया जा सकता है कि अपीलार्थी ने कीमत को पारित कर दिया था टिप्पियों को खुले प्रस्ताव के बारे में संवेदनशील जानकारी। तत्काल और निकटवर्ती तथ्यों से लिया गया ऐसा निष्कर्ष

और घटनाओं के आसपास की परिस्थितियाँ उचित हैं और

तर्कसंगत जो कोई भी विवेकपूर्ण व्यक्ति इस तरह के एक पर पहुंचेगा

निष्कर्ष। कन्हैयालाल पटेल (ऊपर) में उच्चतम न्यायालय

अभिनिर्धारित किया कि सिद्ध और स्वीकृत से एक अनुमानित निष्कर्ष

तथ्य तब तक स्वीकार्य और कानूनी रूप से उचित होंगे जब तक कि

यही उचित भी है। "

विद्वान वरिष्ठ वकील ने यह भी प्रस्तुत किया कि नवीन कुमार तायल में एस. ए. टी. द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव का पालन किया गया है।

एन. आर. बनाम 2018 की अपील संख्या 08 में दिनांक 02.08.2021 के आदेश में SEBI।

21. श्री दातार ने यह कहते हुए अपनी दलीलों का समापन किया कि अपीलार्थी के साथ 2021 के सी. ए. No.7590 में अपीलार्थियों का घनिष्ठ संबंध है।

बलराम गर्ग, विशेष रूप से व्यापार पैटर्न को देखते हुए, यह स्पष्ट करते हैं कि अपीलकर्ता श्रीमती शिवानी गुप्ता, सचिन गुप्ता और अमित

गर्ग के पास यू. पी. एस. आई.-1 और 2 थे, जो इसे बलराम गर्ग को छोड़कर कहीं और से प्राप्त नहीं कर सकते थे, जिनके पास कंपनी का प्रबंध निदेशक होने के कारण महत्वपूर्ण यू. पी. एस. आई. था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2. तैयार संदर्भ के लिए, संबंधित के प्रासंगिक प्रावधान

1 नियम नीचे दिए गए हैं:

प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की धारा 11 (2) (छ)

अधिनियम, 1992

" 11. (1) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, निवेशकों के हितों की रक्षा करना बोर्ड का कर्तव्य होगा।

प्रतिभूतियों के विकास को बढ़ावा देना और

प्रतिभूति बाजार को ऐसे उपायों द्वारा विनियमित करता है जो वह सोचता है

फिट।

(2) पूर्वगामी की व्यापकता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना

उपबंध, उसमें निर्दिष्ट उपाय प्रदान कर सकते हैं

के लिए

(ए)।

(बी)।

(सी)।

(डी)।

(ई)।

(..... (छ) प्रतिभूतियों में अंदरूनी व्यापार को प्रतिबंधित करना;

(एच)।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की धारा 11 (4)

सीटी, 1992

" [(4) उप-धारा (1), (2), (2 ए) और (3) और धारा 11 बी में निहित प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बोर्ड एक आदेश द्वारा लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए निवेशकों या प्रतिभूति बाजार के हितों में से कोई भी

निम्नलिखित उपाय, या तो जांच लंबित है या

जाँच या ऐसी जाँच या जाँच के पूरा होने पर,

अर्थात्:

और प्रतिभूति बाजार से जुड़े किसी भी व्यक्ति को प्रतिबंधित करना। प्रतिभूतियों को खरीदना, बेचना या सौदा करना; ALRAM GARG v.

(ग) किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के किसी भी पदाधिकारी को निलंबित या

स्व-नियामक संगठन को इस तरह के पद पर रहने से;

किसी ऐसे लेन-देन की, जिसकी जाँच की जा रही हो;
(ई) किसी आवेदन पर आदेश पारित करने के बाद संलग्न करें।

न्यायिक द्वारा अनुमोदन के लिए किया गया

एक अवधि के लिए अधिकार क्षेत्र रखने वाले प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट एक महीने, एक या अधिक बैंक खाते से अधिक नहीं या

किसी मध्यस्थ या उससे जुड़े किसी व्यक्ति के खाते

प्रतिभूति बाजार के साथ किसी भी तरह से शामिल

इस अधिनियम या नियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन या उसके तहत बनाए गए नियमः

बशर्ते कि केवल बैंक खाता या खाते या कोई उसमें किया गया लेन-देन, जहाँ तक कि यह वास्तव में इसके किसी भी प्रावधान के उल्लंघन में शामिल आय से संबंधित है।

अधिनियम, या उसके तहत बनाए गए नियमों या विनियमों को संलग्न करने की अनुमति दी जाएगी।

(च) किसी मध्यस्थ या उससे जुड़े किसी व्यक्ति को निर्देश देना।

प्रतिभूति बाजार का किसी भी तरह से निपटान नहीं करना या

किसी भी लेन-देन का हिस्सा बनने वाली संपत्ति को अलग करना जो है

जाँच के अधीनः

बशर्ते कि बोर्ड, उप-धारा (2) या उप-धारा (2ए) में निहित प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी भी सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी या कंपनी के संबंध में खंड (डी) या खंड (ई) या खंड (एफ) में निर्दिष्ट कोई भी उपाय कर सकता है। सार्वजनिक कंपनी (धारा 12 में निर्दिष्ट मध्यस्थ नहीं) जो अपनी प्रतिभूतियों को किसी भी मान्यता प्राप्त पर सूचीबद्ध कराने का इरादा रखती है।

स्टॉक एक्सचेंज जहां बोर्ड के पास यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि ऐसी कंपनी प्रतिभूति बाजार से संबंधित अंदरूनी व्यापार या धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं में लिप्त रही है।

बशर्ते कि बोर्ड, ऐसे आदेश पारित करने से पहले या बाद में, ऐसे मध्यस्थों या संबंधित व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर देगा।] ”

(जोर दिया गया)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की धारा 12 ए

सीटी, 1992

" जोड़-तोड़ और भ्रामक उपकरणों का निषेध, अंदरूनी सूत्र

प्रतिभूतियों का व्यापार और पर्याप्त अधिग्रहण या नियंत्रण।

12 ए. कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा नहीं करेगा

(क) इस मुद्दे के संबंध में, खरीद का उपयोग या नियोजित करना।

एक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, कोई जोड़-तोड़ या के उल्लंघन में भ्रामक उपकरण या साजिश

इस अधिनियम या बनाए गए नियमों या विनियमों के प्रावधान

इसके तहत;

(ख) धोखाधड़ी करने के लिए किसी भी उपकरण, योजना या कलाकृति का उपयोग करें।

निर्गम या प्रतिभूतियों में लेन-देन के संबंध में जो हैं

किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक में सूचीबद्ध या सूचीबद्ध होने के लिए प्रस्तावित

(ग) व्यवसाय के किसी भी कार्य, अभ्यास, पाठ्यक्रम में संलग्न हों जो किसी पर धोखाधड़ी या छल के रूप में काम करता है या काम करेगा

व्यक्ति, मुद्दे के संबंध में, प्रतिभूतियों में काम कर रहा है

जो किसी मान्यता प्राप्त सूची में सूचीबद्ध या सूचीबद्ध होने के लिए प्रस्तावित हैं।

स्टॉक एक्सचेंज, इसके प्रावधानों के उल्लंघन में

अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियम या विनियम;

(ई) सामग्री के कब्जे में रहते हुए प्रतिभूतियों में सौदा या गैर-सार्वजनिक जानकारी या ऐसी सामग्री का संचार या

किसी अन्य व्यक्ति को गैर-सार्वजनिक जानकारी, एक तरह से

जो इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उसके अधीन बनाए गए नियम या विनियम;

(च) इससे अधिक किसी भी कंपनी या प्रतिभूतियों का नियंत्रण प्राप्त करना।

प्रतिभूतियाँ किसी मान्यता प्राप्त पर सूचीबद्ध या सूचीबद्ध होने के लिए प्रस्तावित हैं। बनाए गए नियमों के उल्लंघन में स्टॉक एक्सचेंज

इस अधिनियम के तहत] "

(जोर दिया गया)

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की कार्रवाई 15 जी

सीटी, 1992

" अंदरूनी व्यापार के लिए जुर्माना।

रैम गार्ग वी. भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड [वाइन सरन, जे.]

15 जी. अगर कोई अंदरूनी सूत्र जो,

((i) या तो अपनी ओर से या किसी अन्य की ओर से

व्यक्ति, पर सूचीबद्ध एक निकाय कॉर्पोरेट की प्रतिभूतियों में सौदा करता है

किसी अप्रकाशित मूल्य के आधार पर कोई स्टॉक एक्सचेंज

संवेदनशील जानकारी; या

((ii) किसी भी अप्रकाशित मूल्य को संप्रेषित करता है-संवेदनशील

सामान्य पाठ्यक्रम में आवश्यक जानकारी को छोड़कर ऐसी जानकारी व्यवसाय का या किसी कानून के तहत; या

के आधार पर किसी भी निगमित निकाय की कोई प्रतिभूतियाँ अप्रकाशित मूल्य-संवेदनशील जानकारी,

सभी एक दंड 81 के लिए उत्तरदायी होंगे [जो इससे कम नहीं होगा]

एन लाख रुपये लेकिन जो बीस-पाँच करोड़ पीज़ या अंदर से किए गए लाभ की राशि का तीन गुना तक हो सकता है।एडिंग, जो भी अधिक हो]।

(जोर दिया गया)

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (का निषेध)

साइडर ट्रेडिंग) विनियम, 2015

वहाँ से उनके लिए निर्धारित अर्थ होंगे - इसके अंतर्गतः

" अधिनियम "का अर्थ है प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

(अ)

भारत अधिनियम, 1992 (1992 का 15);

" बोर्ड "का अर्थ है प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड।

(ख)

भारत का;

(ग) "अनुपालन अधिकारी" से कोई वरिष्ठ अधिकारी अभिप्रेत है,

इस प्रकार नामित और निदेशक मंडल को रिपोर्ट करना या संगठन के प्रमुख के मामले में बोर्ड नहीं है,

जो आर्थिक रूप से साक्षर है और सक्षम है

कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं की सराहना करना इन नियमों के तहत अनुपालन और कौन होगा

नीतियों, प्रक्रियाओं के अनुपालन के लिए जिम्मेदार, [2022] 4 एस. सी. आर.

आर. ई. एम. ई. कोर्ट रिपोर्ट

अभिलेखों का रखरखाव, अप्रकाशित मूल्य के संरक्षण के लिए नियमों के पालन की निगरानी

संवेदनशील जानकारी, व्यापार की निगरानी और इनमें निर्दिष्ट संहिताओं का कार्यान्वयन। सूचीबद्ध कंपनी के निदेशक मंडल या प्रमुख के समग्र पर्यवेक्षण के तहत विनियम

किसी संगठन का, जैसा भी मामला हो।

" जुड़ा हुआ व्यक्ति "का अर्थ है,

(i) कोई भी व्यक्ति जो छह महीने के दौरान है या है

संबंधित अधिनियम से संबंधित होने से पहले

प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी क्षमता में एक कंपनी

बार-बार संचार के कारण भी अपने अधिकारियों के साथ या किसी संविदात्मक में होने के कारण,

प्रत्ययी या रोजगार संबंध या होने से

कंपनी का निदेशक, अधिकारी या कर्मचारी

या किसी पेशेवर सहित कोई पद धारण करता है

या अपने और अपने बीच व्यावसायिक संबंध कंपनी चाहे अस्थायी हो या स्थायी, कि

ऐसे व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पहुँच की अनुमति देता है

अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी या है इस तरह की पहुंच की अनुमति देने के लिए उचित रूप से अपेक्षित है।

((ii) की व्यापकता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना

पूर्वगामी, निम्नलिखित के अंतर्गत आने वाले व्यक्तिः

श्रेणियों को जुड़ा हुआ माना जाएगा

व्यक्ति जब तक कि इसके विपरीत स्थापित न हो जाए, -

(ए) जुड़े हुए व्यक्ति का तत्काल रिश्तेदार

खंड (i) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति; या

(ख)

एक होल्डिंग कंपनी या सहयोगी कंपनी

या सहायक कंपनी; या

धारा 12 में विनिर्दिष्ट मध्यस्थ

((ग)

अधिनियम या उसका कोई कर्मचारी या निदेशक; या

((घ)

एक निवेश कंपनी, न्यासी कंपनी, परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी या

कर्मचारी या उसके निदेशक; या

किसी स्टॉक एक्सचेंज का अधिकारी या

(ई)

समाशोधन गृह या निगम; या ALRAM GARG v.

एक पारस्परिक न्यासी मंडल का सदस्य

(च)

कोष या म्यूचुअल फंड की परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी के निदेशक मंडल का सदस्य या उसका कर्मचारी है; या

निदेशक मंडल का सदस्य या

(जी)

सार्वजनिक वित्तीय संस्थान का कर्मचारी

धारा 2 (72) में परिभाषित के रूप में

कंपनी अधिनियम, 2013; या

(ज)

स्वयं का कोई अधिकारी या कर्मचारी

बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त या अधिकृत नियामक संगठन; या

कंपनी का बैंकर; या

((i)

एक चिंता, दृढ़, विश्वास, हिंदू अविभाजित

(1)

परिवार, कंपनी या व्यक्तियों का संघ जिसमें किसी कंपनी का निदेशक या उसका

के तत्काल रिश्तेदार या बैंकर कंपनी की हिस्सेदारी दस प्रतिशत से अधिक है। से

धारण या ब्याज;

नोटः यह इरादा है कि एक जुड़ा हुआ व्यक्ति वह है जिसका उस कंपनी के साथ संबंध है जिससे उसे अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के कब्जे में रखने की उम्मीद की जाती है।

तत्काल रिश्तेदार और निर्दिष्ट व्यक्तियों की अन्य श्रेणियां

उपरोक्त को भी जुड़े हुए व्यक्ति माना जाता है लेकिन इस तरह की धारणा एक कानूनी कल्पना है और इसका खंडन किया जा सकता है। यह

परिभाषा का उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों को भी इसके दायरे में लाना है जो प्रतीत होता है कि किसी कंपनी में किसी भी पद पर नहीं हैं, लेकिन कंपनी और उसके अधिकारियों के साथ नियमित संपर्क में हैं और कंपनी के संचालन की जानकारी में शामिल हैं। यह है।

इसका उद्देश्य उन लोगों को इसके दायरे में लाना है जिनके पास अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी तक पहुंच होगी या हो सकती है

किसी भी संबंध के आधार पर किसी भी कंपनी या कंपनियों के वर्ग के बारे में जो उन्हें अप्रकाशित के कब्जे में डाल देगा

मूल्य संवेदनशील जानकारी।

(ई) "आम तौर पर उपलब्ध जानकारी" का अर्थ है जानकारी। जो एक गैर-भेदभावपूर्ण पर जनता के लिए सुलभ है

नोटः इसका उद्देश्य यह परिभाषित करना है कि आम तौर पर उपलब्ध जानकारी क्या है ताकि अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी को स्पष्ट करना और उसकी सराहना करना आसान हो। स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर प्रकाशित जानकारी को आम तौर पर उपलब्ध माना जाएगा।

(च) "तत्काल रिश्तेदार" से किसी व्यक्ति का जीवनसाथी अभिप्रेत है, और इसमें ऐसे व्यक्ति या पति या पत्नी के माता-पिता, भाई-बहन और बच्चे शामिल हैं, जिनमें से कोई भी आर्थिक रूप से निर्भर है।

ऐसे व्यक्ति पर, या लेने में ऐसे व्यक्ति से परामर्श करता है

प्रतिभूतियों में व्यापार से संबंधित निर्णय;

नोटः इसका उद्देश्य यह है कि किसी "जुड़े हुए व्यक्ति" के निकटतम रिश्तेदार भी जुड़े हुए व्यक्ति बन जाएं।

इन विनियमों के उद्देश्य। वास्तव में, यह एक खंडन योग्य है

अनुमान।

(छ) "अंदरूनी" से कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है जोः

एक जुड़ा हुआ व्यक्ति; या

((i)

के कब्जे में या अप्रकाशित तक पहुंच होने पर

((ख)

मूल्य संवेदनशील जानकारी;

नोटः चूंकि "आम तौर पर उपलब्ध जानकारी" को परिभाषित किया गया है, इसलिए इसका उद्देश्य यह है कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास है या जिसकी पहुंच है

अप्रकाशित मूल्य के प्रति संवेदनशील जानकारी को "अंदरूनी" माना जाना चाहिए, भले ही किसी के पास ऐसी जानकारी कैसे आई हो या उस तक उसकी पहुंच कैसे थी। ऐसे व्यक्ति के लिए यह प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न परिस्थितियाँ प्रदान की जाती हैं कि वह अंदरूनी व्यापार में शामिल नहीं है। इसलिए, इस परिभाषा का उद्देश्य किसी भी ऐसे व्यक्ति को अपनी पहुंच में लाना है जिसे अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी प्राप्त है या जिसकी पहुंच है। यह दिखाने की जिम्मेदारी कि व्यापार के समय किसी व्यक्ति के पास अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी थी या उस तक उसकी पहुंच थी, शुल्क लगाने वाले व्यक्ति पर होगी जिसके बाद वह व्यक्ति जिसने अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के कब्जे में या उस तक पहुंच होने पर व्यापार किया है।

यह प्रदर्शित करें कि वह इस तरह के कब्जे में नहीं था या उसने व्यापार नहीं किया है या वह उपयोग नहीं कर सकता था या जब ऐसी जानकारी उसके पास थी तो उसका व्यापार पूरी तरह से दोषमुक्त करने वाली परिस्थितियों में किया गया था।

(ज) "प्रवर्तक"।

((i) "प्रतिभूतियाँ"। (जे) "निर्दिष्ट"।

" अधिग्रहण नियम "

(के) (1) " "व्यापार" का अर्थ है और इसमें सदस्यता शामिल है,

किसी भी प्रतिभूति में खरीद, बिक्री, सौदा या सदस्यता लेने, खरीदने, बेचने, सौदा करने के लिए सहमत होना और "व्यापार" का अर्थ उसी के अनुसार लगाया जाएगा;

ईः संसदीय अधिदेश के तहत, चूंकि अनुभाग

ई) और अधिनियम की धारा 15 जी 'व्यवहार' शब्द का उपयोग करती है।

क्युरिटीज ', इसका उद्देश्य व्यापक रूप से' ट्रेडिंग 'क्लूड डीलिंग शब्द को परिभाषित करना है। इस तरह के निर्माण पर अंकुश लगाने का इरादा है

अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी पर आधारित समुदाय

जब अप्रकाशित मूल्य के प्रति संवेदनशील संबंध होते हैं तो वे सख्ती से खरीद, बिक्री या सदस्यता नहीं लेते हैं, जैसे कि अंगूठी आदि।

(एम)

" व्यापार दिवस "

(एन)

“ अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी "का अर्थ है

किसी कंपनी या उससे संबंधित कोई जानकारी

आम तौर पर उपलब्ध जो बनने पर आम तौर पर उपलब्ध, प्रतिभूतियों की कीमत को भौतिक रूप से प्रभावित करने की संभावना है और सामान्य रूप से

जानकारी सहित लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं

निम्नलिखित से संबंधितः

((i) वित्तीय परिणाम;

लाभांश;

((ख)

(iii)

पूँजी संरचना में परिवर्तन;

((iv) विलय, विलयन, अधिग्रहण, विलयन, निपटान और व्यवसाय का विस्तार और

ऐसे अन्य लेन-देन;

(v)

प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारियों में परिवर्तन।

(vi)

के अनुसार भौतिक घटनाएँ

सूचीबद्धता समझौता [2022] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अप्रकाशित मूल्य के बारे में सचित्र मार्गदर्शन देने के लिए अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी ऊपर सूचीबद्ध की गई है। संवेदनशील जानकारी।

(2) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15), प्रतिभूति अनुबंधों में इन विनियमों में उपयोग किए गए और परिभाषित नहीं किए गए शब्द और अभिव्यक्तियाँ

(विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42), निक्षेप अधिनियम, 1996 (1996 का 22) या कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) और इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के अर्थ उन विधानों में क्रमशः दिए गए होंगे।

अध्याय-II अंदरूनी लोगों द्वारा संचार और व्यापार पर प्रतिबंध

अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी का संचार या खरीद।

3. (1) कोई भी अंदरूनी सूत्र संवाद नहीं करेगा, प्रदान नहीं करेगा या पहुँच की अनुमति नहीं देगा।

किसी कंपनी या सूचीबद्ध या सूचीबद्ध होने के लिए प्रस्तावित प्रतिभूतियों से संबंधित किसी भी अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के लिए, अन्य अंदरूनी लोगों सहित किसी भी व्यक्ति को, सिवाय इसके कि जहां ऐसी जानकारी दी गई हो।

संचार वैध उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में है,

कर्तव्यों का पालन या कानूनी दायित्वों का निर्वहन।

नोटः इस प्रावधान का उद्देश्य उन सभी अंदरूनी लोगों पर एक दायित्व डालना है जो अनिवार्य रूप से कब्जे में हैं इस तरह से संभालने के लिए अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी

आवश्यकता-जानने के आधार पर सख्ती से अपने व्यवसाय का लेन-देन करते समय सावधानी से जानकारी देना और उनके साथ जानकारी से निपटना। इसका उद्देश्य संगठनों का नेतृत्व करना भी है।

उनके कब्जे में जानकारी के उपचार के लिए सिद्धांतों को जानने की आवश्यकता के आधार पर प्रथाओं का विकास करना।

(2) कोई भी व्यक्ति संचार से खरीद नहीं करेगा या संचार का कारण नहीं बनेगा

वैध उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के अलावा, किसी कंपनी या सूचीबद्ध या सूचीबद्ध होने के लिए प्रस्तावित प्रतिभूतियों से संबंधित अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के किसी भी अंदरूनी सूत्र द्वारा,

कर्तव्यों का पालन या कानूनी दायित्वों का निर्वहन।

नोटः इस प्रावधान का उद्देश्य अप्रकाशित मूल्य पर अवैध रूप से कब्जा करने पर प्रतिबंध लगाना है।

संवेदनशील जानकारी। प्रलोभन और खरीद अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी जो किसी के वैध कर्तव्यों को आगे बढ़ाने और दायित्वों के निर्वहन में नहीं है, इस प्रावधान के तहत अवैध होगी।

संप्रेषित किया गया, प्रदान किया गया, पहुँच की अनुमति दी गई या प्राप्त किया गया एक लेन-देन के साथ संबंध जोः

(i) इसके तहत एक खुला प्रस्ताव देने का दायित्व शामिल है।

अधिग्रहण विनियम जहां 9 [सूचीबद्ध] कंपनी के निदेशक मंडल की सूचित राय है कि 10 [ऐसी जानकारी साझा करना] सबसे अच्छा है कंपनी के हित;

नोटः इसकी आवश्यकता को स्वीकार करने का इरादा है

अधिग्रहण, विलय जैसे महत्वपूर्ण लेन-देन के लिए यू. पी. एस. आई. को संप्रेषित करना, प्रदान करना, अनुमति देना या खरीद करना।

और प्रतिभूतियों में व्यापार और संभावित निवेश का आकलन करने के लिए नियंत्रण में परिवर्तन से जुड़े अधिग्रहण। अधिग्रहण नियमों के तहत एक खुले प्रस्ताव में, न केवल कंपनी के सभी शेयरधारकों के लिए समान कीमत उपलब्ध कराई जाएगी, बल्कि

एक सूचित व्यक्ति को सक्षम करने के लिए आवश्यक सभी जानकारी भी सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा विनिवेश या प्रतिधारण निर्णय उन विनियमों के तहत सभी शेयरधारकों को प्रस्ताव पत्र में उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

((ख)

इसके तहत एक खुला प्रस्ताव देने की बाध्यता को आकर्षित नहीं करना

अधिग्रहण विनियम लेकिन जहां 11 [सूचीबद्ध] कंपनी के निदेशक मंडल की सूचित राय है 12 [कि ऐसी जानकारी साझा करना] कंपनी के सर्वोत्तम हित में है और ऐसी जानकारी जो अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी [2022] का गठन करती है 4 एस. सी. आर.

प्रस्तावित लेन-देन के प्रभावी होने से कम से कम दो दिन पहले आम तौर पर उपलब्ध कराने के लिए प्रसारित किया जाता है जैसे कि निदेशक मंडल निर्धारित कर सकता है [कवर करने के लिए पर्याप्त और निष्पक्ष होने के लिए]

सभी प्रासंगिक और भौतिक तथ्य]।

नोटः इसका उद्देश्य ऐसे लेन-देनों में भी यू. पी. एस. आई. को संप्रेषित करने, प्रदान करने, पहुँच की अनुमति देने या खरीद करने की अनुमति देना है जिसमें अधिग्रहण विनियम 14 [जब निदेशक मंडल द्वारा अधिकृत किया जाता है यदि ऐसी जानकारी साझा की जाती है] के तहत एक खुला प्रस्ताव दायित्व शामिल नहीं है जो कंपनी के सर्वोत्तम हित में है। हालांकि, निदेशक मंडल इस तरह की अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी का सार्वजनिक खुलासा करेगा।

बाजार में किसी भी सूचना विषमता को खारिज करने के लिए प्रस्तावित लेनदेन से बहुत पहले।

(4) उप-विनियम (3) के प्रयोजनों के लिए, निदेशक मंडल

ऐसे पक्षों की ओर से गोपनीयता और गैर-प्रकटीकरण दायित्वों के अनुबंध के लिए समझौतों को निष्पादित करने के लिए पार्टियों की आवश्यकता होगी और ऐसे पक्ष जानकारी को इस तरह रखेंगे उप-विनियम (3) के उद्देश्य को छोड़कर गोपनीय रूप से प्राप्त किया गया, और अन्यथा कंपनी की प्रतिभूतियों में व्यापार नहीं करेगा।

जब अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के कब्जे में हो।

अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी होने पर व्यापार करना।

4. (1) कोई भी अंदरूनी सूत्र उन प्रतिभूतियों में व्यापार नहीं करेगा जो अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के कब्जे में होने पर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध या सूचीबद्ध होने के लिए प्रस्तावित हैंः

बशर्ते कि अंदरूनी सूत्र अपनी बेगुनाही साबित कर सकता है निम्नलिखित सहित परिस्थितियों का प्रदर्शन करनाः -

(i) लेन-देन 18 [अंदरूनी] लोगों के बीच एक बाजार से बाहर अंतर-हस्तांतरण है जिनके कब्जे में थे

नियम 3 का उल्लंघन किए बिना एक ही अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी और दोनों पक्षों ने एक सचेत और सूचित व्यापार किया था

निर्णय लें।

((ii) गैर-व्यक्तिगत अंदरूनी लोगों के मामले मेंः

एलराम गार्ग बनाम। भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड [वाइन सरन, जे.]

जिन व्यक्तियों के अधिकार में थे

ए।

ऐसी अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी

व्यापारिक निर्णय लेने वाले व्यक्तियों से अलग थे और इस तरह के निर्णय लेने वाले व्यक्तियों के पास इस तरह की अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी नहीं थी जब उन्होंने व्यापार करने का निर्णय लिया; और

बी।

उचित और पर्याप्त व्यवस्थाएँ

यह सुनिश्चित करने के लिए थे कि इन नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है और कोई अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी नहीं दी गई थी व्यापारिक निर्णय लेने वाले व्यक्तियों को जानकारी रखने वाले व्यक्ति और ऐसी व्यवस्थाओं के उल्लंघन का कोई सबूत नहीं है;

((iii) लेन-देन एक निर्धारित व्यापार योजना के अनुसार थे।

विनियमन 5 के अनुसार।

नोटः जब कोई व्यक्ति जिसने प्रतिभूतियों में व्यापार किया है, उसके पास अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी है, तो माना जाएगा कि उसका व्यापार उसके खाते में ऐसी जानकारी के ज्ञान और जागरूकता से प्रेरित था।

अधिकार। जिन कारणों से वह व्यापार करता है या जिन उद्देश्यों के लिए वह लेनदेन की आय को लागू करता है, वे यह निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक नहीं हैं कि क्या किसी व्यक्ति के पास है

नियम का उल्लंघन किया। उन्होंने तब व्यापार किया जब उनके पास अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी थी जिसकी उन्हें आवश्यकता होगी। शुल्क लाने के लिए शुरुआत में प्रदर्शित किया जाना। एक बार यह स्थापित हो जाने के बाद, यह अंदरूनी सूत्र के लिए खुला होगा कि वह परंतुक में उल्लिखित परिस्थितियों का प्रदर्शन करके अपनी बेगुनाही साबित करे, जिसमें विफल रहने पर उसने नियम का उल्लंघन किया होगा।

निषेध।

(2) संबंधित व्यक्तियों के मामले में यह स्थापित करने की जिम्मेदारी होगी कि उनके पास अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी नहीं थी, ऐसे संबंधित व्यक्तियों पर होगी और अन्य मामलों में, बोर्ड पर जिम्मेदारी होगी।

(3) बोर्ड समय-समय पर ऐसे मानकों और आवश्यकताओं को निर्दिष्ट कर सकता है, जो वह निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए आवश्यक समझता हैः

इन नियमों को।

23. हमने पक्षों के लिए विद्वान वकील को विस्तार से सुना है और

रिकॉर्ड को ध्यान से देखा है।

24. प्रत्यर्थी का निवेदन कि अपीलार्थी बलराम गर्ग

और प्रथम अपीलीय न्यायालय के रूप में अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते समय अभिलेख पर सामग्री। जैसा कि इस न्यायालय द्वारा निर्णयों के एक समूह में दोहराया गया है, यह अपील की पहली अदालत का कर्तव्य है कि वह दोनों पक्षों के नेतृत्व में सभी मुद्दों और साक्ष्य, कानून के प्रश्नों के साथ-साथ तथ्य के प्रश्नों से निपटे और फिर अपने निष्कर्षों के लिए पर्याप्त कारण प्रदान करके मुद्दे का निर्णय करे। दुर्भाग्य से, एस. ए. टी. पक्षों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर अपने दिमाग को लागू करने में विफल रहा और नियमित रूप से हाथ में मुद्दों से निपटने के बिना डब्ल्यू. टी. एम. के निष्कर्षों की पुष्टि की। इस संदर्भ में, इस न्यायालय ने एच. के. एन. स्वामी बनाम. इरशाद बसिथ [(2005) 10 एस. सी. सी. 243] किः

" पहली अपील का निर्णय तथ्यों के साथ-साथ कानून पर भी किया जाना है। पहली अपील में पक्षों को कानून के प्रश्नों के साथ-साथ तथ्यों पर भी सुनवाई का अधिकार है और पहली अपीलीय अदालत को सभी मुद्दों पर खुद को संबोधित करने और कारण बताकर मामले का फैसला करने की आवश्यकता होती है। दुर्भाग्य से, उच्च न्यायालय ने वर्तमान मामले में तथ्यों या कानून पर कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय के रूप में बैठना उच्च न्यायालय का कर्तव्य था कि वह स्वामित्व के संबंध में निष्कर्ष दर्ज करने से पहले सभी मुद्दों और पक्षों के नेतृत्व में साक्ष्य से निपटे।

उपरोक्त स्थिति को इस न्यायालय द्वारा यूपीएसआरटीसी बनाम ममता [(2016) 4 एससीसी 172] में दोहराया गया था। 25. एस. ए. टी. फिर से त्रुटि में पड़ गया जब यह देखने के बावजूद कि कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है जो बताता है कि 2021 के सी. ए. No.7590 में अपीलार्थियों को अंदरूनी जानकारी का प्रसार किसने किया था, यह केवल "संभावना की प्रधानता" पर निष्कर्ष निकाला कि यह देर से पी. सी. गुप्ता के साथ-साथ अपीलार्थी बलराम गर्ग थे जिन्होंने 2021 के सी. ए. No.7590 में अपीलार्थियों को दोनों यू. पी. एस. आई. का प्रसार किया था।

26. महत्वपूर्ण रूप से, डब्ल्यू. टी. एम. इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपीलार्थी

2021 के सी. ए. No.7590 में, अर्थात्, श्रीमती शिवानी गुप्ता, सचिन गुप्ता, अमित गर्ग और क्विक डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड "जुड़ा हुआ" नहीं था

अपीलार्थी बलराम गर्ग। डब्ल्यू. टी. एम. ने कहा किः

" मैं इस बात पर भी ध्यान देता हूं कि एस. सी. एन. में ऐसा नहीं है कि नोटिसकर्ता

अंदरूनी व्यापार। सूचना संख्या 1 और 2 में प्रतीत होता है कंपनी का रोजगार लेकिन वह बहुत पहले 2015 में था। आई.

यह भी ध्यान दें कि एस. सी. एन. ने यह भी पहचान नहीं की है कि नोटिस प्राप्तकर्ता

नहीं। 1,2,3 या 4 का कोई पेशेवर या व्यावसायिक संबंध था

कंपनी के साथ, जो उक्त नोटिसियों को अनुमति देती है, सीधे या

अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी तक पहुंच।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, मैं पाता हूं कि नोटिस नं। 1,2,3 और 4 नहीं कर सकते

रेग के संदर्भ में 'जुड़े हुए व्यक्तियों' के रूप में माना जाए। 2 (1) (घ) (i)

पी. आई. टी. विनियम, 2015 "।

[जोर दिया गया]

27. हमारी राय में, डब्ल्यूटीएम और एसएटी के दो महत्वपूर्ण निष्कर्ष

वर्तमान पर पर्याप्त निर्णय लेने के लिए इस न्यायालय द्वारा पुनः जांच की आवश्यकता है। अपीलों का समूह। सबसे पहले, क्या डब्ल्यू. टी. एम. और एस. ए. टी. ने 2021 के सी. ए. No.7590 में अपीलार्थियों, अर्थात् श्रीमती शिवानी गुप्ता, सचिन गुप्ता और अमित गर्ग के अलगाव के दावे को सही ढंग से खारिज कर दिया? दूसरा, क्या उपरोक्त अपीलकर्ताओं को उचित रूप से "अंदरूनी" माना जा सकता है

पी. आई. टी. विनियमों के विनियम 2 (1) (जी) (ii), केवल और पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर?

28. 2021 के सी. ए. No.7590 में अपीलार्थी, अर्थात् श्रीमती शिवानी

गुप्ता, सचिन गुप्ता और अमित गर्ग ने डब्ल्यूटीएम और एसएटी के समक्ष दावा किया कि वे परिवार से अलग हो गए थे और अपीलकर्ता बलराम गर्ग के साथ उनका आवश्यक संबंध नहीं था, जो संबंधित समय अवधि में पीसीजे के प्रबंध निदेशक थे। हालाँकि, हमारी राय है कि डब्ल्यू. टी. एम. और एस. ए. टी. ने सी. ए. में अपीलार्थियों के इस दावे को गलत तरीके से खारिज कर दिया। 2021 का No.7590 तथ्यों और

साक्ष्य की सराहना किए बिना जैसा कि उनके सामने प्रस्तुत किया गया था। डब्ल्यू. टी. एम. और एस. ए. टी. को पक्षों के बीच संबंधों की वास्तविक प्रकृति का पता लगाने के लिए प्रासंगिक तथ्यों की सराहना करनी चाहिए थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

29. उपर्युक्त संबंध को समझने के लिए, यह उचित है

31.03.2015 , सचिन गुप्ता (2021 के सी. ए. No.7590 में द्वितीय अपीलार्थी) और उनके माता-पिता पी. सी. गुप्ता और श्रीमती के बीच उत्पन्न हुए कुछ विवादों के कारण। कृष्ण देवी, सचिन गुप्ता, ताकि कंपनी से बाहर निकलें अपने परिवार के साथ, कंपनी के अध्यक्ष (गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग) के रूप में अपने पद से इस्तीफा दे दिया और श्रीमती शिवानी गुप्ता (2021 के सी. ए. No.7590 में पहली अपीलार्थी और सचिन गुप्ता की पत्नी) ने भी पी. सी. जे. के करोल बाग स्टोर के वरिष्ठ सहायक प्रबंधक के अपने पद से इस्तीफा दे दिया।

महत्वपूर्ण रूप से, सचिन गुप्ता और श्रीमती दोनों। शिवानी गुप्ता किसी भी समय पी. सी. जे. की निदेशक नहीं थीं।

30. इसके बाद, स्वर्गीय पी. सी. गुप्ता और उनके बेटे सचिन गुप्ता ने एक अन्य पारिवारिक व्यवस्था में प्रवेश किया, जिसकी तारीख 10.04.2015 थी।

गुप्ता अपने परिवारों के साथ एक ही इमारत की अलग-अलग मंजिलों पर रहते थे, जबकि अमित गर्ग और बलराम गर्ग अलग-अलग इमारतों में रहते थे। 31. पी. सी. गुप्ता और उनकी पत्नी सचिन गुप्ता और उनकी पत्नी श्रीमती गुप्ता द्वारा शेयरों के सहमत हस्तांतरण के बाद। शिवानी गुप्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ कुछ बेचे

02.04.2018 से 13.07.2018 तक कंपनी के शेयर। यह ऊपर बताया गया है शेयरों में व्यापार प्रत्यर्थी/एस. ई. बी. आई. द्वारा जांच का विषय था क्योंकि एस. ई. बी. आई. द्वारा यह संतुष्ट किया गया था कि उपर्युक्त व्यापार बी. ए. एल. आर. ए. एम. जी. आर. जी. बनाम था।

यह यू. पी. एस. आई. पर आधारित था और इसलिए यह एस. ई. बी. आई. अधिनियम और पी. आई. टी. विनियमों का उल्लंघन था। डब्ल्यू. टी. एम. और एस. ए. टी. ने उपरोक्त तथ्यों की सराहना नहीं करने में गलती की जो पर्याप्त रूप से स्थापित करते हैं कि दोनों पक्षों के बीच व्यक्तिगत और व्यक्तिगत रूप से संबंध टूट गए थे।

पेशेवर स्तर पर, और यह कि उक्त अलगाव दो यूपीएसआई से बहुत पहले हुआ था। इसलिए, हमारी राय है कि जब दो पारिवारिक व्यवस्थाओं (दिनांकित 01.07.2011 और 10.04.2015) को उनके सही परिप्रेक्ष्य में माना जाता है, तो यह पर्याप्त रूप से दर्शाता है कि एक टूटना था।

पक्षों के बीच संबंध। इसके अतिरिक्त, इस तथ्य को देखते हुए कि आंतरिक व्यापार के अपराध के लिए अपीलकर्ताओं के खिलाफ पूरा मामला पक्षों के बीच घनिष्ठ संबंधों की प्रकृति पर आधारित था, एक बार जब डब्ल्यूटीएम द्वारा यह उचित रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि अपीलकर्ता न तो विनियमन 2 (1) (डी) के अर्थ के भीतर "जुड़े हुए व्यक्ति" हैं और न ही "तत्काल" हैं।

32. इसके अलावा, हम 2021 के सी. ए. No.7590 में अपीलार्थियों के लिए वकील के प्रस्तुत करने में योग्यता पाते हैं कि यह मानते हुए भी कि उक्त पारिवारिक व्यवस्थाओं के परिणामस्वरूप पक्षों के बीच सामाजिक संबंधों में पूरी तरह से विभाजन नहीं हुआ, एस. ए. टी. इस तथ्य के आधार पर, यह साबित करने के लिए कि अपीलकर्ताओं के पास यू. पी. एस. आई. था, उन पर रखे गए सबूत की जिम्मेदारी से एस. ई. बी. आई. को मुक्त नहीं कर सका। हमारी राय में, एस. ए. टी. द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण एस. ई. बी. आई. अधिनियम को अपने सिर पर डाल देता है क्योंकि यह यह साबित करने का बोझ डालता है कि 2021 के सी. ए. No.7590 में अपीलकर्ताओं पर पक्षों के बीच संबंध पूरी तरह से टूट गए थे, जबकि इस तथ्य की आसानी से अनदेखी करते हुए कि वास्तव में यह साबित करने की जिम्मेदारी एस. ई. बी. आई. पर थी कि अपीलकर्ताओं के पास यू. पी. एस. आई. का अधिकार था या उनकी पहुंच थी। विनियमन 2 (1) (जी) के विधायी नोट में कानून की उपरोक्त स्थिति स्पष्ट रूप से स्पष्ट की गई है। इसमें कहा गया है किः

..... यह दिखाने की जिम्मेदारी कि व्यापार के समय एक निश्चित व्यक्ति के पास अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी थी या उसकी पहुंच थी, इसलिए आरोप लगाने वाले व्यक्ति पर होगी जिसके बाद वह व्यक्ति जिसके पास है अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के कब्जे में या उस तक पहुंच होने पर व्यापार यह प्रदर्शित कर सकता है कि वह इस तरह के कब्जे में नहीं था या उसने व्यापार नहीं किया है या वह [2022] 4 एस. सी. आर. नहीं कर सकता था।

पहुँच या कि उसका व्यापार जब इस तरह के कब्जे में हो

जानकारी पूरी तरह से दोषमुक्त द्वारा कवर की गई थी

परिस्थितियाँ।

33. हमारे सामने दूसरा सवाल यह है कि क्या 2021 के सी. ए. No.7590 में अपीलकर्ताओं को उचित रूप से "अंदरूनी" माना जा सकता है।

पी. आई. टी. विनियमों के विनियम 2 (1) (जी) (ii), केवल और पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर?

34. इस संदर्भ में, इस बात पर प्रकाश डालना महत्वपूर्ण है कि दो प्रमुख निगमित घोषणाएं, कथित रूप से कंपनी में बदलाव से संबंधित हैं। राजधानी संरचना, जो थीः

यूपीएसआई-1 [25.04.2018 से 10.05.2018 के बीच की अवधि]:

आई.

10.05.2018 पर कंपनी की 1,21,14 तक वापस खरीदने की घोषणा, 285 रुपये के इक्विटी शेयरों का पूरी तरह से भुगतान किया। 10 / - प्रत्येक रुपये की कीमत पर। 350 / - प्रति इक्विटी शेयर।

यूपीएसआई-2 [07.07.2018 से 13.07.2018 के बीच की अवधि]:

ii.

भारतीय स्टेट बैंक से एन. ओ. सी. की प्राप्ति न होने के कारण कंपनी द्वारा अपने पुनर्खरीद प्रस्ताव को वापस लेने की घोषणा।

2021 का सी. ए. No.7590 विनियमन 2 (1) (जी) (ii) के संदर्भ में "अंदरूनी सूत्र" होगा। पी. आई. टी. विनियमों के उनके व्यापार पैटर्न और उनके आधार पर

व्यापार का समय (परिस्थितिजन्य साक्ष्य)। एस. ए. टी. का तर्क प्रत्यक्ष रूप से अभिलेखों के विपरीत है, जैसा कि आगामी चर्चा से स्पष्ट होगा जिसमें कथित लेनदेन का हमारा विश्लेषण किया गया है।

तीन चरणों में विभाजित। चरण-I [02.04.2018 से 24.04.2018 तक की अवधि], चरण-II [22.06.2018 से 06.07.2018 तक की अवधि] और चरण III [07.07.2018 से 13.07.2018 तक की अवधि]।

36. चरण-I [02.04.2018 से 24.04.2018 यानी प्री यूपीएसआई-1

अवधि]: अपीलार्थी श्रीमती शिवानी गुप्ता ने पी. सी. गुप्ता और श्रीमती द्वारा उन्हें उपहार में दिए गए शेयरों को बेच दिया। कृष्ण देवी (पारिवारिक व्यवस्था के हिस्से के रूप में दिनांक 10.04.2015) व्यक्तिगत और व्यावसायिक कारणों से। उक्त शेयर रुपये की कीमत पर बेचे गए थे। 300 उक्त अवधि के दौरान प्रति शेयर। हालाँकि, चूंकि शेयरों की कीमत गिरती रही, श्रीमती शिवानी ने रुकने का फैसला किया। 24.04.2018 पर शेयर बेचना। इसके अलावा, अगर हम यह मान लें कि उन्हें कंपनी के संबंध के बारे में आंतरिक जानकारी थी, जिसमें आने वाली बाय-बैक BALRAM GARG v शामिल है।

प्रस्ताव में, यह मान लेना उचित होगा कि उसने यूपीएसआई-1 से पहले की अवधि में शेयरों का इतना बड़ा हिस्सा (74,35,071 शेयर) नहीं बेचा होगा जब शेयरों की कीमतें गिर रही थीं और इसके बजाय उसने बाय-बैक प्रस्ताव की प्रतीक्षा करने का विकल्प चुना होगा। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एस. ई. बी. आई. ने स्वयं अपने आई. डी. 1 दिनांकित कारणदर्शक नोटिस के माध्यम से यू. पी. एस. आई.-1 अवधि के संबंध में शुल्क हटा दिया था। इसका मतलब यह होगा कि अपीलार्थी श्रीमती शिवानी गुप्ता द्वारा कथित रूप से टाल दिया गया अनुमानित नुकसान केवल यूपीएसआई-II अवधि के दौरान कारोबार किए गए शेयरों के लिए था, और यहां तक कि एस. ई. बी. आई. के अनुसार, ऐसा कोई मामला नहीं था कि उन्होंने कोई पैसा कमाया हो या किसी भी नुकसान से बचा हो।

यूपीएसआई-1 अवधि के दौरान कंपनी के शेयरों में व्यापार करने से नुकसान।

37. चरण-II [22.06.2018 से 06.07.2018 यानी प्री-यूपीएसआई-II अवधि]: पी. सी. जे. ने एस. बी. आई. से 07.07.2018 पर प्रस्तावित पुनर्खरीद प्रस्ताव के लिए एन. ओ. सी. जारी करने का अनुरोध किया था और उसी पर उक्त अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया था।

एस. बी. आई. द्वारा दिन। हालाँकि, एस. बी. आई. द्वारा उक्त इनकार से पहले ही, अपीलार्थी श्रीमती शिवानी गुप्ता ने 06.07.2018 पर 1,00,000 शेयर उस कीमत से बहुत कम कीमत पर बेचे थे जिस पर शेयर पहले बेचे गए थे। जिस तारीख को ये शेयर बेचे गए थे, उस दिन यूपीएसआई-2 अस्तित्व में भी नहीं आया था। यदि प्रत्यर्थी की दलीलों में कोई तथ्य है, तो अपीलकर्ताओं को यू. पी. एस. आई.-2 तक इंतजार करना चाहिए था और बाद में किसी भी काल्पनिक नुकसान से बचने के लिए उक्त अवधि के दौरान केवल अधिकतम शेयरों को ही उतारना चाहिए था। हालाँकि, अभिलेख प्रत्यर्थी/एस. ई. बी. आई. द्वारा अपनाए गए तर्क को इस कारण से कम करते हैं कि अपीलकर्ताओं के पास यू. पी. एस. आई.-2 नहीं था और इसलिए अपीलकर्ताओं ने यू. पी. एस. आई.-2 के अस्तित्व में आने से पहले ही शेयरों को बेचना शुरू कर दिया था।

38. चरण-III [07.07.2018 से 13.07.2018 यानी यूपीएसआई-II अवधि]: अपीलार्थी श्रीमती शिवानी गुप्ता ने इस अवधि के दौरान केवल 74,35,071 शेयरों के विपरीत केवल 15,00,000 शेयर बेचे।

समय का एक पूर्व बिंदु (पूर्व-यूपीएसआई-1 अवधि)। महत्वपूर्ण रूप से, इस तथ्य के बावजूद कि अपीलकर्ता श्रीमती शिवानी गुप्ता ने 15,00,000 शेयर बेचे, उन्होंने कंपनी के 12,84,111 शेयर रखना जारी रखा, कुल में से जो उन्हें पारिवारिक व्यवस्था के माध्यम से हस्तांतरित किए गए थे। ये उपरोक्त कारक एस. ई. बी. आई. के इस तर्क को कमजोर करते हैं कि अपीलकर्ताओं ने भारी बिक्री की।

यू. पी. एस. आई.-2 अवधि के दौरान शेयरों की संख्या क्योंकि उन्हें जानकारी थी कि एक बार पी. सी. जे. द्वारा खरीद-वापसी प्रस्ताव की निकासी की जानकारी सार्वजनिक कर दी गई थी, तो शेयरों की कीमत में भारी गिरावट आएगी। इसके अलावा, आंकड़ों से पता चलता है कि पी. सी. जे. शेयरों की कीमत में लगातार गिरावट आई है। जाँच अवधि के दौरान और इसलिए यह कहना गलत होगा कि शेयरों की कीमत केवल निकासी [2022] 4 एस. सी. आर. की घोषणा पर गिरी।

पुनर्खरीद प्रस्ताव। वास्तव में, अभिलेखों से पता चलता है कि पुनर्खरीद प्रस्ताव की घोषणा के बाद भी कंपनी के शेयर की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हुई थी। परिणामस्वरूप, अपीलकर्ताओं ने 13.07.2018 पर शेयर बेचना बंद कर दिया क्योंकि उनका मानना था कि बाजार मूल्य में इतनी बुरी तरह से गिरावट जारी है कि उनके पास मौजूद शेयरों का बाजार में सटीक मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है। इसलिए, अपीलकर्ताओं ने अपनी हिस्सेदारी रखने के लिए गठन करने का निर्णय लिया।

39. इस मामले को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि यूपीएसआई और उनके द्वारा की गई शेयरों की बिक्री के बीच कोई संबंध नहीं है।

2021 के सी. ए. No.7590 में अपीलार्थी। शेयरों को बेचने के उक्त निर्णय और उनका समय विशुद्ध रूप से उनके द्वारा लिया गया एक व्यक्तिगत और वाणिज्यिक निर्णय था और उन निर्णयों में और कुछ नहीं पढ़ा जा सकता है। यदि अपीलकर्ताओं के पास यू. पी. एस. आई. थे, तो हम यह समझने में असमर्थ हैं कि अपीलकर्ता श्रीमती शिवानी गुप्ता इस अवधि के दौरान केवल यू. पी. एस. आई.-2 अवधि के दौरान बेचे गए यू. पी. एस. आई.-2 शेयरों के साथ-साथ बेचे जा सकने वाले यू. पी. एस. आई.-2 अवधि के दौरान बेचे गए यू. पी. एस. आई.-1 अवधि के शेयरों के विपरीत केवल यू. पी. एस. आई.-2 शेयर ही क्यों बेचती।

40. हमारी यह भी राय है कि पक्षकारों के बीच लगातार संवाद दिखाने के लिए अभिलेख पर उपलब्ध किसी भी सामग्री के अभाव में,

अपीलार्थी बलराम गर्ग द्वारा यूपीएसआई के संचार का अनुमान नहीं लगाया जा सकता था। 2021 के सी. ए. No.7590 में अपीलार्थियों का व्यापार पैटर्न अपीलार्थी बलराम गर्ग द्वारा दूसरे को यू. पी. एस. आई. के संचार को साबित करने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य नहीं हो सकता है। 2021 के सी. ए. No.7590 में अपीलार्थी। यहां यह भी ध्यान देने योग्य होगा कि पी. आई. टी. विनियमों का विनियम 3, जो यू. पी. एस. आई. के संचार से संबंधित है, कानून में एक काल्पनिक कल्पना नहीं बनाता है। इसलिए, यह केवल ठोस सामग्री (पत्र, ईमेल, गवाह आदि) प्रस्तुत करने के माध्यम से ही साबित किया जा सकता है कि यूपीएसआई का उक्त संचार पक्षों के बीच कथित निकटता के कारण हुआ था। इस संदर्भ में, कारण दर्शाओ नोटिस भी अपीलार्थी बलराम गर्ग और 2021 के सी. ए. No.7590 में अन्य अपीलार्थियों के बीच किसी भी संवाद का आरोप नहीं लगाते हैं। यह डब्ल्यू. टी. एम. के क्रम के निम्नलिखित उद्धरण से स्पष्ट हैः

" एस. सी. एन. के अवलोकन से पता चलता है कि नोटिसियों के आरोप

नहीं। 1 4 को विनियमन 2 (1) (डी) (आई) के तहत जुड़ा हुआ व्यक्ति होना

एलराम गार्ग बनाम। भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड [वाइन सरन, जे.]

ऐसा प्रतीत होता है कि यह निष्कर्ष निकाले जाने के आधार पर आगे बढ़ाया गया है कि नहीं। 1 3 स्वर्गीय श्री पदम के रिश्तेदार होने के कारण

चांद गुप्ता जो पीसी के प्रवर्तक और अध्यक्ष थे

ज्वेलर्स, और नोटिस नं। 5 पीसी ज्वैलर्स के प्रबंध निदेशक स्वर्गीय श्री गुप्ता और नोटिस नंबर 5 के साथ लगातार संपर्क में रहते थे। हालाँकि, यहाँ मैं ध्यान देता हूँ कि विनियमन के अनुसार

2 (1) (घ) (i) कंपनी के प्रति उसके कर्तव्य के निर्वहन में कंपनी के अधिकारी के साथ लगातार संचार के आधार पर संबंध उत्पन्न होना चाहिए। एस. सी. एन. का यह आरोप नहीं है कि नोटिस नं. 5 और नोटिस नं। 1 4, नोटिस सं. द्वारा देय किसी भी कर्तव्य के निर्वहन से उत्पन्न होता है। 1,2,3 या कम्पोनी के लिए 4 "। [जोर देना आपूर्ति की गई]

41. हनुमंत बनाम मध्य प्रदेश राज्य [ए. आई. आर. सुप्रीम कोर्ट 343] के मामले में इस अदालत ने फैसला सुनाया है किः

" यह मानते हुए कि आरोपी नरगुंडकर ने ले लिया था

अभियुक्त के अपराध को उसके घर तक पहुँचाने के लिए अभियोजन पक्ष ने अभी तक ऊपर उल्लिखित अन्य तथ्यों को साबित नहीं किया है। उन तथ्यों के प्रमाण में कोई प्रत्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया था। अभियोजन पक्ष और अदालतों द्वारा कुछ परिस्थितियों और विवादित दस्तावेज़, प्रदर्शनी पी-3 ए में निहित आंतरिक साक्ष्य पर रिलायंस को नीचे रखा गया था। परिस्थितिजन्य साक्ष्य से निपटने में नियम विशेष रूप से

इस तरह के साक्ष्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए। ऐसे मामलों में हमेशा यह खतरा रहता है कि अनुमान या संदेह कानूनी प्रमाण का स्थान ले सकता है और इसलिए बैरन एल्डरसन द्वारा रेग v में जूरी को संबोधित चेतावनी को याद करना सही है। हॉज (1838) 2 ल्यू। 227) , जहाँ उन्होंने कहाः

" मन अनुकूलन में आनंद लेने के लिए उपयुक्त था

एक दूसरे के लिए परिस्थितियाँ, और यहाँ तक कि उन्हें थोड़ा तनाव देने में, यदि आवश्यक हो, तो उन्हें एक के कुछ हिस्सों से मजबूर करने के लिए

जुड़ा हुआ पूरा; और व्यक्ति का मन जितना अधिक चतुर होता गया, इस तरह के मामलों पर विचार करते हुए खुद को ओवररीच और गुमराह करने की संभावना उतनी ही अधिक थी, कि कुछ छोटी सी कड़ी प्रदान करने के लिए जो वांछित है, अपने पिछले सिद्धांतों के अनुरूप कुछ तथ्य को हल्के में लेने के लिए और उन्हें पूरा करने के लिए आवश्यक था।

यह अच्छी तरह से याद रखना चाहिए कि ऐसे मामलों में जहां परिस्थितिजन्य प्रकृति के साक्ष्य, वे परिस्थितियाँ जिनसे

अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए पहली बार में पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए, और इस तरह से स्थापित सभी तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए। पुनः, परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और विचाराधीनता की होनी चाहिए और वे ऐसी होनी चाहिए कि हर परिकल्पना को बाहर कर दिया जाए, लेकिन जिसे साबित करने का प्रस्ताव है। अन्य में

शब्दों में, अब तक सबूतों की एक श्रृंखला होनी चाहिए जो अभियुक्त की बेगुनाही के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार नहीं छोड़ती है और यह ऐसा होना चाहिए जो यह दिखा सके कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया होना चाहिए। जोरदार तर्कों के बावजूद

विद्वान महाधिवक्ता द्वारा हमें संबोधित किया गया

राज्य में हम प्रदर्शनी पी-3 ए के भीतर या बाहर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं खोज पाए हैं और हम यह देखने के लिए विवश हैं कि नीचे की अदालतें उस त्रुटि में पड़ गई हैं जिसके खिलाफ उपरोक्त मामले में बैरन एल्डरसन द्वारा चेतावनी दी गई थी। [जोर दिया गया]

42. इस अदालत ने चिंतलपति श्रीनिवास राजू बनाम भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड [(2018) 7 एस. सी. सी. 443] मामले में आगे फैसला सुनाया है।

" इसके अलावा, विनियमन 2 (ई) (आई) के दूसरे भाग के तहत,

संबंधित व्यक्ति से अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी तक पहुंच "यथोचित रूप से अपेक्षित" होनी चाहिए। द.

अभिव्यक्ति "यथोचित रूप से प्रत्याशित" केवल एक इप्स डिक्सिट नहीं हो सकती है-यह दिखाने के लिए सामग्री होनी चाहिए कि ऐसा व्यक्ति कर सकता है अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी तक पहुंच की यथोचित रूप से अपेक्षा की जाए।

हम पहले ही प्रदर्शित कर चुके हैं कि अल्पमत निर्णय अपीलार्थी न्यायाधिकरण के बहुमत निर्णय की तुलना में बहुत अधिक विस्तृत और सही है। हम श्री सिंह के निवेदन ए. एल. आर. ए. एम. जी. ए. आर. जी. वी. को स्वीकार करते हैं।

भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड [वाइन सरन, जे.]

कि वर्तमान जैसे मामलों में, एक उचित अपेक्षा

चीजों के ज्ञान में केवल उचित पर आधारित हो सकता है

मूलभूत तथ्यों से लिए गए निष्कर्ष। एस. ई. बी. आई. में यह न्यायालय वी. किशोर आर. अजमेर, (2016) 6 एस. सी. सी. 368 383 पर, ने कहाः

" 26. यह कानून का एक मौलिक सिद्धांत है जो एक

किसी व्यक्ति के खिलाफ लगाया गया आरोप इस रूप में हो सकता है -

प्रत्यक्ष मूल साक्ष्य या, जैसा कि कई मामलों में, ऐसा प्रमाण तर्क की एक तार्किक प्रक्रिया द्वारा अनुमान लगाना पड़ सकता है

उपस्थित तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता से

लगाए गए और लगाए गए आरोपों/आरोपों के आसपास।

जबकि प्रत्यक्ष साक्ष्य एक अधिक निश्चित आधार है

निष्कर्ष, फिर भी, इसकी अनुपस्थिति में न्यायालय नहीं कर सकते हैं

असहाय रहें। इस पर ध्यान देना न्यायिक कर्तव्य है

तत्काल और निकटवर्ती तथ्य और परिस्थितियाँ

उन घटनाओं के आसपास जिन पर आरोप/आरोप लगाए गए हैं

स्थापित किए जाते हैं और उस तक पहुँचने के लिए जो न्यायालय को दिखाई देगा

इससे एक उचित निष्कर्ष निकालना। यह होगी परीक्षा

हमेशा यह कि क्या अनुमानित प्रक्रिया है कि एक उचित /

विवेकपूर्ण व्यक्ति किसी निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए गोद लेगा।

})

हमारा विचार है कि केवल इस तथ्य से कि अपीलार्थी

दो संयुक्त उद्यम कंपनियों को बढ़ावा दिया, जिनमें से एक अंततः

एस. सी. एस. एल. के साथ विलय हो गया, और यह तथ्य कि वह उनके सह-भाई थे बी. रामलिंगा राजू, अधिक के बिना, नहीं कहा जा सकता है

मूलभूत तथ्य जिनसे उचित रूप से एक अनुमान लगाया जाता है

गोपनीय जानकारी में होने की उम्मीद की जा रही है

जानकारी बनाई जा सकती है। तथ्य यह है कि अपीलार्थी को

निदेशक के रूप में तब तक बने रहें जब तक कि उनकी जगह फिर से नहीं ली जाती

हमें कहीं भी ले जाएँ। श्री विश्वनाथन ने हमें दिखाया है कि दो

अपीलार्थी ने अपनी सारी शक्ति उन व्यवसायों को समर्पित कर दी जो वह कर रहे थे। के कार्यकारी निदेशक के रूप में चल रहे हैं, चल रहे हैं और इस्तीफा देने के बाद

एस. सी. एस. एल., जिसके परिणामस्वरूप उन्हें वेतन दिया जा रहा था एस. सी. एस. एल. को बंद कर दिया गया।

[जोर दिया गया]

43. इस न्यायालय ने कई मामलों में यह भी निर्णय दिया है कि

अनुमान लगाने से पहले इसे स्थापित किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में, [2022] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सीमा सिल्क एंड साड़ी बनाम। प्रवर्तन निदेशालय [(2008) 5

एस. सी. सी. 580] इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है किः

" व्यापारी के खिलाफ उठाया गया अनुमान एक खंडन योग्य है। विपरीत बोझ के साथ-साथ वैधानिक अनुमानों को भी कई कानूनों में उठाया जा सकता है, उदाहरण के लिए, परक्राम्य लिखत अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, टाडा, आदि। अनुमान तभी उठाया जाता है जब अभियोजन पक्ष द्वारा कुछ मूलभूत तथ्य स्थापित किए जाते हैं। ऐसी घटना में अभियुक्त यह दिखाने का हकदार होगा कि उसने इसका उल्लंघन नहीं किया है।

अधिनियम के प्रावधान "।

वर्तमान मामले में, जैसा कि विद्वान वकील द्वारा सही तर्क दिया गया है

अपीलार्थी, मूलभूत तथ्य साबित नहीं हुए जो कथित अनुमान को बढ़ा सकते हैं। एस. ई. बी. आई. यह साबित करने के लिए कोई सामग्री दर्ज करने में विफल रहा कि सी. ए. No.7590/2021 में अपीलार्थी "जुड़े हुए" थे।

पी. आई. टी. विनियमों के विनियम 2 (1) (डी) (2) (ए) के साथ पठित विनियम 2 (1) (डी) (2) (ए) द्वारा आवश्यक बलराम गर्ग के लिए व्यक्ति क्योंकि अपीलकर्ता सी. ए. No.7590/2021 में से कोई भी बलराम गर्ग पर वित्तीय रूप से निर्भर नहीं था या यहां तक कि प्रतिभूतियों में व्यापार से संबंधित किसी भी निर्णय में बलराम गर्ग से परामर्श करने का आरोप भी नहीं था।

यह साबित करने के लिए सामग्री कि 2021 के सी. ए. <आई. डी. 1 में अपीलकर्ता, अर्थात्, श्रीमती शिवानी गुप्ता, सचिन गुप्ता, अमित गर्ग और क्विक डेवलपर्स प्रा. लिमिटेड "तत्काल रिश्तेदार" थे जो "आश्रित" थे।

अपीलार्थी बलराम गर्ग पर वित्तीय रूप से "या बलराम गर्ग से" परामर्श "करें।

" प्रतिभूतियों में व्यापार से संबंधित निर्णय लेना। हालांकि, एस. ई. बी. आई.

"तत्काल रिश्तेदार" नहीं थे और पूरी तरह से आर्थिक रूप से स्वतंत्र थे अपीलार्थी बलराम गर्ग का और प्रतिभूतियों से संबंधित किसी भी निर्णय लेने की प्रक्रिया में उक्त बलराम गर्ग से उसका कोई लेना-देना नहीं था या

अन्यथा। 45. अपीलार्थी सं. के संदर्भ में। 4 (2021 के सी. ए. No.7590 में), अर्थात् क्विक डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड, रिकॉर्ड से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि यह है

न तो "होल्डिंग कंपनी" या "एसोसिएट कंपनी" या

" पी. सी. जे. की सहायक कंपनी और न ही अपीलकर्ता बलराम गर्ग कभी भी क्विक डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक रहे हैं। लि. इसलिए, क्विक बालराम गार्ग v.

डेवलपर्स प्रा. लिमिटेड को अपीलार्थी बलराम गर्ग की तुलना में "जुड़े हुए व्यक्ति" के रूप में नहीं माना जा सकता है।

46. इसके अलावा, लेन-देन पर प्रतिवादी/एस. ई. बी. आई. की निर्भरता

अपीलार्थी सचिन गुप्ता और पी. सी. जे. के बीच और पी. सी. जे. द्वारा किराए का बाद में भुगतान प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है क्योंकि ये आरोप कारण दिखाएँ नोटिस का हिस्सा नहीं थे। इसे मजबूत करने के लिए

प्रस्ताव, संदर्भ तरलोचन देव शर्मा बनाम पंजाब राज्य [(2001) 6 एस. सी. सी. 260] के लिए किया जा सकता है जिसमें इस न्यायालय ने निर्णय दिया है।

वहः

" इसलिए, हमारी स्पष्ट राय है कि न केवल

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया था

अपीलार्थी के खिलाफ प्रथम दृष्टया यह भी नहीं निकला कि राष्ट्रपति की शक्तियों के दुरुपयोग का मामला।

[जोर दिया गया]

इसी तरह की टिप्पणियां इस न्यायालय द्वारा भी की गई हैं।

हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड बनाम. महानिदेशक (जांच और विकास)

पंजीकरण) [(2001) 2 एससीसी 474]।

47. अंत में, हमने अपनी चिंता पर विचार किया है

प्रत्यर्थी के विद्वान वकील द्वारा दिए गए निर्णय। एस. ई. बी. आई. बनाम किशोर आर. अजमेर [(2016) 6 एस. सी. सी. 368] और दुष्यंत एन.

दलाल बनाम एस. ई. बी. आई. (2017) 9 एस. सी. सी. 660। यह अभिनिर्धारित करने के लिए पर्याप्त है कि ये मामले वर्तमान मामले के तथ्यों पर अलग-अलग हैं, क्योंकि पहला आंतरिक व्यापार का मामला नहीं है, बल्कि धोखाधड़ी/हेरफेर व्यापार प्रथाओं का मामला है; और दूसरा मामला विचाराधीन विषय वस्तु के बजाय हितों और दंड से संबंधित है। किशोर आर. अजमेरा (उपरोक्त) के मामले पर यह दिखाने के लिए भरोसा रखा गया कि तत्काल और प्रासंगिक तथ्यों के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है जो पहले से तय किए गए कानून के विपरीत है।

चिंतलपति श्रीनिवास राजू (उपरोक्त) के मामले में न्यायालय जहां यह अभिनिर्धारित किया गया है कि "चीजों के बारे में जानने की एक उचित अपेक्षा केवल मूलभूत तथ्यों से प्राप्त उचित निष्कर्ष पर आधारित हो

सकती है"। यह आगे माना गया है कि केवल इसलिए कि कोई व्यक्ति जुड़े हुए व्यक्ति से संबंधित था, एक निष्कर्ष निकालने के लिए अपने आप में एक मूलभूत तथ्य नहीं हो सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

48. निष्कर्ष निकालने के लिए, उत्तरदाताओं का पूरा मामला दो महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर आधारित था, कि सबसे पहले, एक निकट अस्तित्व था

इसमें अपीलार्थियों के बीच संबंध; और दूसरा, कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य (व्यापार पैटर्न और व्यापार के समय) के आधार पर, यह

उचित रूप से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सी. ए. No.7590 में अपीलार्थी

2021 पी. आई. टी. विनियमों के विनियम 2 (1) (जी) (ii) के संदर्भ में "अंदरूनी सूत्र" थे। हालाँकि, जैसा कि उपरोक्त चर्चा से पता चलता है, डब्ल्यू. टी. एम. और एस. ए. टी. ने तथ्यों और साक्ष्यों की सराहना किए बिना, 2021 के सी. ए. No.7590 में अपीलार्थियों के अलगाव के दावे को गलत तरीके से खारिज कर दिया, जैसा कि उनके सामने प्रस्तुत किया गया था। रिकॉर्ड और तथ्य पर्याप्त रूप से स्थापित करते हैं कि व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों स्तरों पर पक्षों के बीच संबंध टूट गए थे और यह कि उक्त अलगाव दोनों यूपीएसआई से बहुत पहले हुआ था। दूसरा, जैसा कि पहले ही चर्चा की जा चुकी है, एस. ए. टी. ने 2021 के सी. ए. No.7590 में अपीलार्थियों को उनके व्यापार पैटर्न और उनके व्यापार के समय (परिस्थितिजन्य) के आधार पर पी. आई. टी. विनियमों के विनियमन 2 (1) (जी) (ii) के संदर्भ में "अंदरूनी" ठहराने में गलती की।

सबूत)। हमारा दृढ़ मत है कि यू. पी. एस. आई. और 2021 के सी. ए. No.7590 में अपीलार्थियों द्वारा की गई शेयरों की बिक्री के बीच कोई संबंध नहीं है। इसके अलावा, पक्षकारों के बीच लगातार संचार दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर उपलब्ध किसी भी सामग्री के अभाव में, अपीलार्थी बलराम गर्ग द्वारा यूपीएसआई के संचार का अनुमान नहीं लगाया जा सकता था। 2021 के सी. ए. No.7590 में अपीलार्थियों का व्यापार पैटर्न अपीलार्थी बलराम गर्ग द्वारा 2021 के सी. ए. No.7590 में अन्य अपीलार्थियों को यू. पी. एस. आई. के संचार को साबित करने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य नहीं हो सकता है। डब्ल्यू. टी. एम. और एस. ए. टी. के लिए इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं है कि स्वर्गीय पी. सी. गुप्ता और अपीलार्थी बलराम गर्ग दोनों ने 2021 के सी. ए. No.7590 में अन्य अपीलार्थियों को यू. पी. एस. आई. के बारे में सूचित किया था। 2021 के सी. ए. No.7590 में उक्त अपीलार्थी "तत्काल रिश्तेदार" नहीं थे और अपीलार्थी बलराम गर्ग से पूरी तरह से आर्थिक रूप से स्वतंत्र थे और प्रतिभूतियों से संबंधित किसी भी निर्णय लेने की प्रक्रिया में या अन्यथा भी उनके साथ उनका कोई लेना-देना नहीं था। उसी के संबंध में प्रत्यर्थी के विद्वान वकील का प्रस्तुतिकरण

अपीलार्थियों का आवासीय पता भी सपाट पड़ता है क्योंकि पक्षकार भूमि के एक बड़े हिस्से पर अलग-अलग इमारतों में रह रहे थे। अंत में, हमारे राय में, एस. ए. टी. आदेश दिमाग के गैर-अनुप्रयोग से ग्रस्त है और यह केवल डब्ल्यू. टी. एम. द्वारा बताए गए तथ्यों की पुनरावृत्ति है। अपीलीय न्यायाधिकरण प्रथम अपीलीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर रहा था और स्वतंत्र रूप से साक्ष्य और रिकॉर्ड पर सामग्री का आकलन करने के लिए बाध्य था, जो वह स्पष्ट रूप से करने में विफल रहा।

49. तदनुसार, अपीलों की अनुमति दी जाती है और डब्ल्यूटीएम और एसएटी के विवादित ए निर्णय और अंतिम आदेशों को दरकिनार कर दिया जाता है। इस न्यायालय के विवादित आदेशों या अंतरिम आदेशों के संदर्भ में दोनों अपीलों में अपीलार्थियों द्वारा की गई जमा राशि संबंधित को वापस कर दी जाएगी।

याचिकाकर्ता।

50. लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

बिभूति भूषण बोस

(सहायकः नेहा शर्मा, एलसीआरए)